(१४२) निकट ही मूर्ख लोग कहेंगे कि जिस क़िबला (जिस दिशा की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ी जाती है) पर यह थे उससे इन्हें किस विषय ने फेर दिया ? (आप) कह दीजिए कि पूर्व तथा पश्चिम का मालिक अल्लाह (तआला) है वह जिसे चाहे सीधा मार्ग दर्शाता है ।[1]

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

(१४३) तथा हमने इसी प्रकार तुम्हें माध्यम (संतुलित) समुदाय बनाया है ।[2] ताकि तुम

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

---

[1]जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पधारे तो १६-१७ महीने तक बैतुल मक़दिस की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ते रहे । जबकि हार्दिक इच्छा थी कि ख़ानये काअबा की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ी जाये । जो आदरणीय इब्राहीम का क़िबला था । इसके लिए आप प्रार्थना भी करते तथा बार-बार आप आकाश की ओर दृष्टि करते । अन्त में अल्लाह तआला ने क़िबले के परिवर्तन का आदेश दे ही दिया जिस पर यहूदी तथा भ्रष्टाचारियों ने शोर मचाया । यद्यपि नमाज़ अल्लाह की इबादत है तथा इबादत में उपासक (इबादत करने वाला) को जिस प्रकार का आदेश होता है, उस प्रकार करने के लिए वह बाध्य होता है इसलिए जिस ओर अल्लाह ने मुख फेर दिया उस ओर फिर जाना अनिवार्य था । इसके अतिरिक्त जिस अल्लाह की इबादत करनी है पूर्व, पश्चिम दिशायें उसी की हैं, इसलिए दिशाओं का कोई महत्व नहीं, प्रत्येक दिशा में अल्लाह की इबादत हो सकती है, यदि उस दिशा को अपनाने का अल्लाह ने आदेश दिया हो । क़िबला परिवर्तन का यह आदेश "असर" की नमाज़ के समय आया तथा असर की नमाज़ ख़ानये काअ़बा की ओर मुख करके पढ़ी गयी ।

[2] وسط का शब्दार्थ है, 'मध्य', परन्तु यह महानता तथा श्रेष्ठता के लिए भी प्रयुक्त होता है, यहां इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है अर्थात जिस प्रकार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ क़िबला प्रदान किया गया है, उसी प्रकार तुम्हें सर्वश्रेष्ठ समुदाय भी बनाया गया है । उद्देश्य यह है कि तुम लोगों पर गवाही दो । जैसा कि अन्य स्थान पर है ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٨] (सूर: अल-हज्ज,७८) रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो । इसका स्पष्टीकरण कुछ हदीसों मे इस प्रकार आया है कि जब अल्लाह तआला पैग़म्बरों (ईशदूतों) से क़ियामत के दिन पूछेगा कि तुमने मेरा संदेश लोगों तक पहुँचाया था वह सकारात्मक उत्तर देंगे अल्लाह तआला पूछेगा कि तुम्हारा कोई गवाह है ? वह कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा उनके अनुयायी । अत: यह अनुयायी गवाही देंगे इसलिए

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

लोगों पर साक्षी हो जाओ तथा रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तुम पर साक्षी हो जाएं जिस क़िबले पर तुम पूर्व से थे, उसे हमने केवल इसलिए निर्धारित किया था कि हम जान लें कि रसूल के सच्चे अनुयायी कौन-कौन हैं तथा कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है,[1] यद्यपि यह कार्य कठिन है, परन्तु जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दर्शन प्रदान किया है (उन पर कोई कठिनाई नहीं) अल्लाह (तआला) तुम्हारा ईमान नष्ट नही करेगा,[2] अल्लाह (तआला) लोगों के साथ प्रेम तथा कृपा करने वाला है।

इसका अनुवाद न्यायकर्त्ता भी किया गया है। (इब्ने कसीर) एक अर्थ وسط, के मध्यम के भी किये गये हैं, अर्थात मध्यम समुदाय-अर्थात अधिकता अथवा कमी करने से शुद्ध। यह इस्लाम की शिक्षाओं के आधार पर है कि इसमें मध्यमता है, न अधिकता न कमी।

[1]यह क़िबला परिवर्तन का एक कारण बताया गया है। ईमानवाले, सच्चे लोग तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों के इशारे की प्रतीक्षा में रहा करते थे, इसलिए उनके लिए इधर से उधर फिर जाना कोई कठिन कार्य न था वल्कि एक स्थान पर तो नमाज की स्थिति में जबकि वे रूकूअ में थे यह आदेश पहुँचा तो उन्होंने रूकूअ में ही अपना मुख ख़ानये काअ़बा की ओर कर लिया। यह मस्जिदे क़िबलतैन (अर्थात वह मस्जिद जिसमें एक नमाज़ दो क़िबलों की ओर मुख करके पढ़ी गयी हो) कहलाती है। ऐसी ही घटना मस्जिदे क़ुबा में भी हुई। لنعلم (कि हम जान लें) अल्लाह को तो पूर्व ही ज्ञान था, इसका अर्थ है कि हम विश्वासी लोगों में से सन्देह करने वालों को अलग कर दें ताकि लोगों के समक्ष दोनों प्रकार के लोग स्पष्ट हो जायें। (फ़तहुल क़दीर)

[2]कुछ सहावा की वुद्धि में यह शंका उत्पन्न हुई कि जिन सहावियों की वैतुल मक़दिस की ओर मुख करके नमाज़ पढ़ने के समय में मृत्यु हो गयी अथवा हम जितने समय तक उस ओर मुख करके नमाज़ पढ़ते रहे हैं, ये व्यर्थ हो गई, अथवा शायद उनका पुण्य नहीं प्राप्त होगा। अल्लाह तआला ने फ़रमाया ये नमाज़ें नष्ट नहीं होंगी, तुम्हें पूरा पुण्य प्राप्त होगा। यहाँ नमाज़ को ईमान से वर्णन करके यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि नमाज़ के

قَدۡ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِى السَّمَآءِ‌ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةً تَرۡضٰٮهَا‌ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَـرَامِ‌ؕ وَحَيۡثُ مَا كُنۡتُمۡ فَوَلُّوۡا وُجُوۡهَكُمۡ شَطۡرَهٗ ‌ؕ وَاِنَّ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ لَيَعۡلَمُوۡنَ اَنَّهُ الۡحَـقُّ مِنۡ رَّبِّهِمۡ‌ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُوۡنَ ‏﴿۱۴۴﴾‏

(१४४) हम आपके मुख को आकाश की ओर,बार-बार उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको उस क़िबले की ओर फेर देंगे, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। आप अपना मुख मस्जिद हराम (कअ़ाबा) की ओर फेर लें तथा आप जहां कहीं भी हों आप अपना मुख उसी ओर फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की ओर से सत्य होने का वास्तविक ज्ञान है।[1] तथा अल्लाह तआला उन कर्मों से अचेत नहीं, जो ये करते हैं।

وَلَئِنۡ اَتَيۡتَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوۡا قِبۡلَتَكَ‌ۚ وَمَآ اَنۡتَ بِتَابِعٍ قِبۡلَتَهُمۡ‌ۚ وَمَا بَعۡضُهُمۡ بِتَابِعٍ قِبۡلَةَ بَعۡضٍ‌ؕ وَلَئِنِ

(१४५) तथा आप यदि अहले किताब को सभी प्रमाण प्रस्तुत कर दें परन्तु वे आपके क़िबले का अनुकरण नहीं करेंगे[2] तथा न आप उनके क़िबले को मानने वाले, [3] न ये आपस में एक दूसरे के क़िबले को मानने

विना ईमान का कोई महत्व नहीं है। ईमान का तभी महत्व है जब नमाज़ तथा अन्य अल्लाह के आदेशों का पालन होगा।

[1]अहले किताब की विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में ख़ानये काअ़बा के अन्तिम नबी का क़िबला होने के स्पष्ट संकेत विद्यमान हैं। इसलिए इसका सत्य होना उन्हें निश्चित रूप से ज्ञात था। परन्तु उनका वंशीय घमण्ड तथा ईर्ष्या, सत्य कोस्वीकारने में बाधित बन गया।

[2]क्योंकि यहूदियों के विरोध का आधार ईर्ष्या तथा द्वेष है, इसलिए उन पर प्रमाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात किसी बात से प्रभावित होने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो।

[3]क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वह़्यी (प्रकाशनाओं) के पालन करने वाले हैं, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ओर से ऐसा आदेश न मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क़िबले को क्यों अपना सकते हैं।

اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

वाले हैं ।[1] यदि आप इसके उपरान्त कि आपके पास ज्ञान आ चुका फिर भी उनकी इच्छाओं की तृप्ति के लए अनुकरण करने लगें तो निःसन्देह आप भी अत्याचारी हो जाएंगे ।[2]

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

(१४६) जिन्हें हमने किताब प्रदान की है वे तो इसे ऐसा पहचानते हैं, जैसे कोई अपने पुत्रों को पहचानता है, उनका एक गुट सत्य को पहचान कर फिर छुपाता है ।[3]

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

(१४७) आपके प्रभु की ओर से साक्षात सत्य है, सावधान ! आप सन्देह करने वालों में से न हों ।[4]

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ

(१४८) तथा प्रत्येक व्यक्ति एक न एक ओर आकृष्ट हो रहा है ।[5] तुम पुण्य की ओर

---

[1]यहूदियों का क़िबला शिला बैतुल मक़दिस तथा इसाईयों का बैतुल मक़दिस का पूर्वी भाग है । जब अहले किताब के यह दो गुट भी एक क़िबले पर सहमत नहीं तो मुसलमानों से क्यों आशा करते हैं कि वह इस विषय में उनका पक्ष करेंगे ।

[2]यह चेतावनी पहले गुज़र चुकी है, उद्देश्य समुदाय को सर्तक करना है कि क़ुरआन तथा हदीस के ज्ञान के उपरान्त अहले बिदअत (आधुनीकीकरण करने वाले) के पीछे लगना, अत्याचार तथा भटकाव है ।

[3]यहाँ अहले किताब के एक गुट को सत्य के छुपाने का अपराधी बताया गया है, क्योंकि उनमें एक गुट अब्दुल्लाह बिन सलाम जैसे लोगों का भी था जिन्होंने अपने सत्य एवं शुद्ध हृदय के कारण इस्लाम धर्म धारण किया ।

[4]पैग़म्बर पर अल्लाह की ओर से जो भी आदेश उतरता है, निःसंदेह सत्य है, उसमें शंका व सन्देह का कोई लेश मात्र भी स्थान नहीं ।

[5]अर्थात प्रत्येक धर्मवालों ने अपना प्रिय क़िबला बना रखा है, जिसकी ओर वह मुख करता है । एक अन्य भावार्थ यह है कि प्रत्येक धर्म के लोगों ने अपना एक संविधान तथा विधि बना रखी है, जैसे क़ुरआन मजीद के अन्य स्थान पर है ।

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾	दौड़ो। जहाँ कहीं भी तुम रहोगे, अल्लाह तुम्हें ले आयेगा। अल्लाह (तआला) को हर वस्तु का सामर्थ्य है।
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾	(१४९) तथा आप जहाँ से निकलें अपना मुख मस्जिदे हराम की ओर कर लिया करें, यही सत्य है आप के प्रभु की ओर से। जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह (तआला) अनजान नहीं।
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ	(१५०) तथा जिस स्थान से आप निकलें अपना मुख मस्जिदे हराम की ओर फेर लें[1] तथा जहाँ कहीं तुम रहो अपना मुख उसी

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾

(*सूर: अल-मायद:-४८*) अर्थात अल्लाह तआला ने मार्ग दर्शन तथा मार्गभ्रंश दोनों के स्पष्टीकरण के पश्चात, मनुष्य को उन दोनों में से किसी को अपनाने की जो स्वतंत्रता प्रदान की है, उसके कारण विभिन्न विधियाँ तथा नियम लोगों ने बना लिये हैं, जो एक दूसरे से भिन्न हैं। अल्लाह तआला चाहता तो सभी को एक ही मार्ग पर सहमत कर देता परन्तु यह अधिकारों से वंचित किये बिना संभव न था तथा अधिकार देने का तात्पर्य उनकी परीक्षा लेना है। इसलिए हे मुसलमानों ! तुम भलाईयों की ओर आगे रहो अर्थात पुण्य तथा भलाई के मार्ग पर अग्रसर रहो तथा यह अल्लाह की वह्यी तथा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार्ग का अनुकरण करो, यही सत्य मार्ग है जिससे अन्य धर्मावलम्बी वंचित हैं।

[1]क़िबले की ओर मुख फेर लेने के आदेश को तीन बार दोहराया गया है। या तो इस पर बल देने तथा महत्व दिखाने के लिए अथवा यह चूँकि आदेश निरस्तीकरण का प्रथम अनुभव था, इसलिए मानसिक संशय को दूर करने के लिए आवश्यक था कि इसे बार-बार दोहरा कर मस्तिष्क में बसा दिया जाए। अथवा विभिन्न कारणों से ऐसा किया गया। एक कारण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईच्छा तथा प्रसन्नता थी, वहाँ इसे वर्णित किया। दूसरा कारण प्रत्येक समुदाय के व्यक्ति तथा आमन्त्रित करने वाले के लिए एक स्थाई केन्द्र की स्थापना है, वहाँ इसे दुहराया, तीसरा कारण विरोधियों के आरोपों का खण्डन करने के लिए वर्णन किया गया है। (फ़तहुल क़दीर)

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۚ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

ओर कर लिया करो, ताकि लोगों को कोई आपत्ति तुम पर शेष न रह जाए।[1] उनके सिवाय जिन्होंने उनमें से अत्याचार किये हैं।[2] तुम उनसे मत डरो।[3] मुझसे ही डरो। ताकि मैं अपनी अनुकम्पा तुम पर पूरी कर दूँ तथा इसलिए भी कि तुम मार्ग दर्शन प्राप्त कर सको।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

(१५१) जिस प्रकार[4] हमने तुममें तुम्हीं में से रसूल (ईशदूत-मोहम्मद स॰अ॰व॰) को भेजा, जो हमारी आयतें (पवित्र क़ुरआन के सूत्र) तुम्हारे समक्ष पाठ करता है तथा तुम्हें शुद्ध

---

[1]अर्थात अहले किताब यह न कह सकें कि हमारी किताबों में तो उनका क़िबला ख़ानये काअ़बा है तथा नमाज़ यह बैतुल मक़दिस की ओर मुख करके पढ़ते हैं।

[2]यहां ظلموا से तात्पर्य द्वेष तथा ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं। अर्थात अहले किताब में से जो द्वेष रखने वाले हैं वह यह जानने के उपरान्त कि अन्तिम पैग़म्बर का क़िबला ख़ानये काअ़बा ही होगा, ईर्ष्या तथा द्वेष के कारण कहेंगे कि बैतुल मक़दिस के बजाए ख़ानये काअ़बा को अपना क़िबला बनाकर यह पैग़म्बर अन्ततः अपने पूर्वजों के धर्म ही की ओर आकर्षित हो गया है तथा कुछ के निकट इससे तात्पर्य मक्का के मूर्तिपूजक हैं।

[3]अत्याचारियों से न डरो, अर्थात मूर्तिपूजकों की बातों की चिन्ता न करो। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने हमारा क़िबला अपना लिया है, निकट भविष्य में हमारा धर्म भी अपना लेंगे। "मुझसे ही डरते रहो।" जो आदेश देता रहूँ उस पर निर्भीक होकर बिना किसी प्रकार की चिन्ता किये कर्म करते रहो। क़िबले के परिवर्तन को मार्गदर्शन प्राप्त करने से तुलना की गई है। कहा गया है कि अल्लाह के आदेश के अनुसार कर्म करने से निःसन्देह मनुष्य समृद्धि तथा पुरस्कार का अधिकारी भी बनता है तथा उसे मार्गदर्शन प्राप्त होने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है।

[4] كما (जिस प्रकार) का सम्बन्ध पूर्व कथन से है अर्थात यह सभी सुख-समृद्धि तथा मार्ग दर्शन का सौभाग्य तुम्हें इस प्रकार प्राप्त हुआ जिस प्रकार इससे पूर्व तुम्हारे अन्दर तुम्हीं में से एक रसूल भेजा जो तुम्हारा शुद्धिकरण करता है, किताब तथा बुद्धिमत्ता की शिक्षा देता तथा जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं वह सिखाता है।

وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

करता है एवं तुम्हें पुस्तक तथा बुद्धि एवं उन बातों का जिनसे तुम अज्ञान थे ज्ञान दे रहा है।

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

(१५२) इसलिए तुम मुझे स्मरण करो मैं भी तुम्हें याद करुँगा तथा मेरे कृतज्ञ रहो एवं कृतघ्नता से बचो।[1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

(१५३) हे ईमान वालो ! धैर्य तथा नमाज़ के द्वारा सहायता चाहो, अल्लाह (तआला) धैर्य रखने वालों का साथ देता है।[2]

---

[1]अतएव तुम इन सुख-समृद्धियों के फलस्वरुप मेरा वर्णन तथा कृतज्ञता व्यक्त करते रहो। सुख-समृद्धियों पर कृतघ्नता न करो। वर्णन का अर्थ है हर क्षण अल्लाह को याद करना, अर्थात उसकी तस्बीह (पवित्रता), तहलील (एकता) तथा तकबीर (महिमा) के शब्दों का उच्चारण करना तथा कृतज्ञता का अर्थ है अल्लाह की प्रदान की हुई शक्ति तथा स्फूर्ति को उसकी आज्ञा पालन में ख़र्च करना है। अल्लाह की प्रदान की हुई शक्ति को अल्लाह के आदेशों की अवहेलना में ख़र्च करना यह अल्लाह की कृतघ्नता है। कृतज्ञता व्यक्त करने पर अन्य उपकारों की शुभ सूचना तथा कृतघ्नता पर कठोर यातना की चेतावनी है। ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (*सूरः इब्राहीम* -७)

[2]मनुष्य की दो ही परिस्थितियाँ होती हैं। सुख-सुविधा (समृद्धि) अथवा दुख एवं विपदा। सुख में अल्लाह की कृतज्ञता व्यक्त करने पर बल तथा दुख में धैर्य तथा अल्लाह से सहायता प्राप्त करने पर बल है। हदीस में है "ईमान वालों की समस्या विचित्र है, उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है तो अल्लाह को कृतज्ञता व्यक्त करता है तथा दुख पहुँचता है तो धैर्य करता है। दोनों ही परिस्थितियाँ उसके लिए पुण्यकारी हैं।" (सहीह मुस्लिम किताबुल ज़ोहद व अर-रकाएक बाब-अल-मोमिन अमरुहु कुल्लुहु ख़ैर, हदीस संख्या-२९९९) धैर्य दो प्रकार का होता है। एक निषेध तथा पाप का परित्याग तथा उससे सुरक्षित रहने के कारण जिन से स्वाद का बलिदान तथा अस्थाई लाभों की हानि होती है, उन पर धैर्य। दूसरा अल्लाह के आदेशों के पालन करने पर जो कठिनाई आए उन्हें धैर्य के साथ सहन करना। कुछ लोगों ने इसकी तुलना इस प्रकार की है। अल्लाह की प्रिय बातों का पालन करना, चाहे इन्द्रीय अथवा शारीरिक रुप से कितनी ही कष्टदायक क्यों न हो तथा अल्लाह को अप्रिय लगने वाली बातों से बचना चाहिए। इच्छाएं तथा स्वाद उसको चाहे कितना ही खींचे। (इब्ने क़सीर)

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

(१५४) तथा अल्लाह (तआला) के मार्ग में शहीद होने वालों को मृतक न कहो,[1]- वे जीवित हैं, परन्तु तुम नहीं समझते।

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

(१५५) तथा हम किसी न किसी प्रकार तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे, शत्रु के भय से, भूख-प्यास से धन तथा प्राण एवं फलों की कमी से तथा उन धैर्य रखने वालों को शुभ सूचना दे दीजिए।

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

(१५६) उन्हें जब कभी भी कोई कठिनाई आती है, तो कह किया करते हैं कि हम तो स्वयं अल्लाह (तआला) की धरोहर हैं तथा हम उसी की ओर लौटने वाले हैं।

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

(१५७) उन पर उनके पोषक की दया एवं कृपा है तथा यही लोग मार्ग प्रदर्शित हैं (सत्य मार्ग पर हैं)[2]

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

(१५८) अवश्य सफ़ा (पर्वत) एवं मरवह (पर्वत) अल्लाह (तआला) की निशानियों में से

---

[1] शहीदों को मरा हुआ न कहना उनके मान-सम्मान के लिए है। यह जीवन बरज़ख (आलोक-परलोक के मध्यम का जीवन है) जिसे हमारी बुद्धि समझने में असमर्थ है। यह जीवन सम्मान के अनुसार नबियों, ईमानवालों यहाँ तक कि काफ़िरों को भी प्राप्त है। शहीद की आत्मा तथा कुछ कथनों के अनुसार ईमान वालों की आत्मायें भी एक पक्षी के वक्ष में स्वर्ग में जहाँ चाहती है फिरती है। (इब्ने कसीर तथा सूर: *आले-इमरान*-१६९ देखें)

[2] इन आयतों में धैर्य रखने वालो के लिए शुभ सूचनाएं हैं। हदीस में विपदा के समय ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ के साथ «اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا» पढ़ने की भी विशेषता पर बल दिया गया है। (सहीह मुस्लिम किताबुल जनायज़ बाब मा युक़ाल इन्दल मुसीब: हदीस संख्या ९१८)

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

हैं,[1] इसलिए अल्लाह के घर का हज तथा उमरा करने वाले पर इनकी परिक्रमा कर लेने में भी कोई पाप नहीं ।[2] अपनी प्रसन्नता से पुण्य करने वालों का अल्लाह सम्मान करता है तथा उन्हें भलीभाँति जानने वाला है ।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

(१५९) जो लोग हमारी उतारी हुई निशानियों एवं निर्देशों को छुपाते हैं इसके उपरान्त कि हम उसे अपनी किताब (पवित्र क़ुरआन) में लोगों के लिए वर्णन कर चुके हैं उन लोगों

---

[1] شعائر बहुवचन شعيرة का है, जिसका अर्थ चिन्ह के है, यहाँ हज के नियम (जैसे अरफ़ात में रुकना, सअई करना, सफ़ा-मरवह पर्वतों के मध्य निर्धारित मार्ग की परिक्रमा करना, कंकरियाँ मारना, बलि देना से तात्पर्य है जो अल्लाह तआला ने निर्धारित किये हैं ।

[2] सफ़ा तथा मरवह के मध्य सअई करना, हज का एक स्तम्भ है । परन्तु क़ुरआन के शब्दों में (कोई पाप नहीं) से कुछ सहाबा को शंका हुई कि शायद यह आवश्यक नही है । आदरणीया आयशा (रज़ी अल्लाह अन्हा) के ज्ञान में जब यह बात आयी तो उन्होंने कहा कि यदि इसका अर्थ यह होता तो अल्लाह तआला इस प्रकार फ़रमाता (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا) यदि उनकी परिक्रमा न करें तो कोई पाप नहीं । फिर उसके उतरने की विशेषता का वर्णन किया कि मदीना निवासी अंसार, इस्लाम धर्म धारण करने से पूर्व झूठी मूर्ति मनात के नाम का उच्चारण करते, जिसकी पूजा वे मुशल्ल पर्वत पर करते थे । तथा फिर मक्का पहुँचकर ऐसे लोग सफ़ा मरवह के मध्य सअई (परिक्रमा) करना पाप समझते थे । मुसलमान होने के पश्चात उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके विषय में पूछा तो यह आयत उतरी, जिसमें कहा गया है कि सफ़ा-मरवह के मध्य सअई (परिक्रमा) करना कोई पाप नहीं । (सहीह बुख़ारी किताबुल हज व वजूब अलस्सफ़ा वल मरवह) कुछ लोगों ने इसकी पृष्ठ भूमि यह बतायी है कि अज्ञान काल में कुछ लोगों ने सफ़ा पर्वत पर एक मूर्ति (इसाफ़) तथा मरवह पर्वत पर नायला नाम की मूर्ति रखी हुई थी जिनका वे सअई के मध्य चुम्बन करते थे अथवा स्पर्श करते थे । जब लोग मुसलमान हुए तो उन्होंने समझा कि शायद सफ़ा-मरवह के मध्य सअई पाप हों क्योंकि इस्लाम के पूर्व दो मूर्तियों ही के कारण सफ़ा-मरवह के मध्य सअई करते थे । अल्लाह तआला ने इस आयत में उनकी इस चिन्ता तथा शंका को दूर कर दिया । अब यह सअई आवश्यक है । सफ़ा से प्रारम्भ होकर मरवह पर समाप्त होती है । (ऐसरूत्तफ़ासीर)

पर अल्लाह की तथा सभी धिक्कारने वालों की धिक्कार है ।[1]

اللّٰعِنُوْنَ ۝١٥٩

(१६०) परन्तु वह लोग जो तौबा (क्षमा-याचना) कर लें तथा सुधार कर लें एवं वर्णन करें तो मैं उनकी तौबा स्वीकार कर लेता हूँ, तथा मैं क्षमा-याचना स्वीकार करने वाला तथा कृपा करने वाला हूँ ।

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰٓئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝١٦٠

(१६१) नि:सन्देह जो काफ़िर कुफ़्र की स्थिति में मर जाएं उन पर अल्लाह की तथा फ़रिश्तों की एवं सभी लोगों की धिक्कार है ।[2]

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۝١٦١

(१६२) जिसमें वे सदैव रहेंगे न उनसे यातना हल्की की जाएगी तथा न उन्हें ढील दी जायेगी ।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ۝١٦٢

---

[1]अल्लाह तआला ने जो बातें अपनी किताब में उतारी हैं उन्हें छिपाना इतना बड़ा अपराध है कि अल्लाह के धिक्कारने के अतिरिक्त अन्य धिक्कारने वालों द्वारा भी धिक्कारा जाता है । हदीस में है «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ» (अबू दाऊद किताबुल इल्म बाब कराहिय: मनइल इल्मे,त्रिमिज़ी-हदीस संख्या ६५१, तथा कहते हैं हदीस हसन है) जिससे कोई ऐसी बात पूछी गयी जिसका ज्ञान उसको था तथा उसने उसको छिपाया तो क़ियामत के दिन आग की लगाम उसके मुख में दी जायेगी ।

[2]इससे विदित हुआ कि जिस के विषय में सुनिश्चित ज्ञान हो कि उसका निधन कुफ़्र पर हुआ है उस पर धिक्कार की जा सकती है, परन्तु उसके अतिरिक्त किसी घोर पापी मुसलमान पर धिक्कार उचित नहीं है क्योंकि संभव है कि उसने निधन से पूर्व क्षमा याचना कर ली हो अथवा अल्लाह ने उसके अन्य पुण्य कर्मों के कारण उसके पाप क्षमा कर दिये हों जिसका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । हाँ जिन कुकर्मों पर धिक्कार का शब्द आया है, उन कुकर्मियों के विषय में यह कहा जा सकता है कि धिक्कार योग्य कर्म कर रहे हैं यदि उन्होंने इसकी क्षमा-याचना न की तो अल्लाह के सदन में तिरष्कृत हो सकते हैं ।

(१६३) तथा तुम सबका ईष्टदेव एक अल्लाह ही है उसके अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं,[1] वह अति कृपालु तथा अति दयालु है।

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

(१६४) आकाश तथा धरती की रचना, रात दिन का फेर बदल, नावों का लोगों को लाभ देनेवाली वस्तुओं को लेकर समुद्र में चलना, आकाश से वर्षा उतार कर मृत धरती को जीवित कर देना,[2] इसमें प्रत्येक प्रकार के जीव को फैला देना, वायु की दिशा परिवर्तन

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا

---

[1]इस आयत में पुन: एकेश्वरवाद का आमन्त्रण दिया गया है। यह एकेश्वरवाद का आमन्त्रण मक्का के मूर्तिपूजकों की समझ में न आने वाला था। उन्होंने कहा [ص:٥] ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (सूर: स्वाद) क्या उसने इतने देवताओं के स्थान पर एक ईष्टदेव बना दिया, यह तो आश्चर्यजनक बात है। इसलिए अगली आयत में उसके एक होने के प्रमाण तथा तर्क वर्णन किये जा रहें हैं।

[2]यह आयत इस आधार पर अति परिपूर्ण है कि सृष्टि की रचना तथा उसके नियन्त्रण एवं संचालन के सम्बन्ध में सात विशेष बातों का एकत्रित वर्णन है जो किसी अन्य आयत में नहीं।१- आकाश तथा धरती की उत्पत्ति, जिसके विस्तार तथा प्रसार के वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं। २- रात तथा दिन, एक के बाद दूसरे का आना, दिन को प्रकाश तथा रात को अंधकार करना ताकि जीवन यापन के लिए व्यापार भी हो सके तथा विश्राम भी। फिर रात का लम्बा तथा दिन का छोटा होना फिर उसके विपरीत दिन का लम्बा तथा रात का छोटा होना ।३- समुद्र में नाव तथा जहाज का चलना, जिसके कारण व्यापारिक यात्रा भी होती है तथा अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री भी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानान्तरित होती है। ४- वर्षा जो धरती की उपज तथा सिंचाई के लिए अति आवश्यक है । ५- हर प्रकार के जीव-जन्तुओं का जन्म जो यातायात, कृषि तथा युद्ध में प्रयोग होते हैं तथा मनुष्य के भोजन के लिए एक बड़ा भाग इनसे पूरा होता है। ६- हर प्रकार की वायु, ठंडी भी गर्म भी प्रयोग योग्य भी तथा निष्प्रयोग भी, पूर्वी-पश्चिमी भी तथा उत्तर-दक्षिणी भी। मनुष्य के जीवन तथा उनकी आवश्यकतानुसार। ७- मेघ जिन्हें अल्लाह तआला जहाँ चाहता है बरसाता है। ये सभी बातें क्या अल्लाह तआला के एक होने का प्रमाण नहीं हैं? अवश्य प्रमाण हैं। क्या उसके इस नियन्त्रण तथा संचालन में उसका कोई साझीदार है? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर इसको छोड़कर अन्य को ईष्टदेव तथा कष्ट निवारक समझना कहाँ कि बुद्धिमानी है।

مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

करना, तथा बादल जो आकाश तथा धरती के मध्य वशवति हैं, इसमें बुद्धिमानों के लिए अल्लाह के सामर्थ्य के चिन्ह हैं।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۭ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

(१६५) तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साझीदार अन्यों को ठहरा कर उनसे ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना चाहिए[1] तथा ईमानवाले अल्लाह से प्रेम में दृढ़ होते हैं,[2] काश कि मूर्तिपूजक जानते जबकि अल्लाह की यातनाओं को देखकर (जान लेंगे) कि सभी सामर्थ्य अल्लाह ही को

---

[1]उपरोक्त प्रत्यक्ष प्रमाणों तथा अकाटय तर्कों के उपरान्त ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के साथ अन्य दूसरों को उसका साझीदार बना लेते हैं। तथा उनसे उसी प्रकार प्रेम करते हैं, जिस प्रकार अल्लाह से करना चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय ही ऐसा नहीं था शिर्क के यह प्रदर्शक आज भी हैं, बल्कि इस्लाम के नाम लेवाओं के दिलों में भी यह रोग घर कर गया है। उन्होंने भी अल्लाह के अतिरिक्त अन्य को तथा महात्माओं, पीरों, फ़कीरों तथा सज्जादा नशीनों को अपना संकटमोचन, कष्टनिवारक तथा चिन्ताहरण बना रखा है। बल्कि उनको उनसे प्रेम अल्लाह से भी अधिक है। एकेश्वरवाद का भाषण उन्हें भी इसी प्रकार कष्टदायक प्रतीत होता है। जिसका दृश्य अल्लाह तआला ने इस आयत में खीचा है।

﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

तथा जब अकेले अल्लाह का वर्णन किया जाता है तो जो लोग आख़िरत पर विश्वास नहीं रखते, उनके हृदय बंध जाते हैं तथा जब उसके अतिरिक्त अन्य का वर्णन होता है तो प्रसन्न हो जाते हैं। (*सूर: अल-ज़ुमर ४५*)

[2]परन्तु ईमानवालों को मूर्तिपूजकों के विपरीत अल्लाह तआला से ही अधिक प्रेम होता है। क्योंकि जब मूर्तिपूजक समुद्र के तूफ़ान में फंस जाते हैं तो अपने देवी देवता भूल जाते हैं। वहाँ केवल अल्लाह तआला को पुकारते हैं ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (*सूर: अनकबूत-६५*) ﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (*सूर: लुक़मान-३२*) ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (*सूर: यूनुस-२२*)

है तथा अल्लाह (तआला) कठोर यातना देने वाला है। (तो कदापि मूर्तिपूजा न करते)

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

(१६६) जिस समय मुखिया लोग अपने अनुयायियों से अलग हो जायेंगे तथा यातना को अपनी आँखों से देख लेंगे तथा सभी सम्बन्ध विच्छेदित हो जायेंगे।

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

(१६७) तथा अनुयायी कहने लगेंगे, काश हम दुनियां की ओर पुन: जायें तो हम भी उनसे इसी प्रकार अलग हो जाएं, जैसे ये हमसे हैं। इसी प्रकार अल्लाह तआला उन्हें उनके कर्म दिखाएगा उनको पछतावे के लिए, ये कदापि नरक से न निकल पाएंगे।[1]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

(१६८) लोगों ! धरती में जितनी भी वैध तथा पवित्र वस्तुएं हैं, उन्हें खाओ-पियो। तथा शैतान के मार्ग पर न चलो,[2] वह तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है।

---

[1]मिश्रणवादी परलोक में धर्मगुरु तथा धर्माचारियों की विवशता तथा विश्वासघात पर पश्चाताप करेंगे, परन्तु इस पश्चाताप का कोई लाभ न होगा। काश संसार में ही मिश्रणवाद से क्षमायाचना कर लें।

[2]अर्थात शैतान के अनुगामी बनकर अल्लाह की अवर्जित की हुई चीजों को हराम न कहो जिस प्रकार से मूर्तिपूजकों ने किया कि अपनी मूर्तियों के नाम से समर्पित पशुओं को अपने लिए हराम कर लेते थे। जिसका विस्तृत वर्णन सूर: *अल-अन्आम* में आयेगा। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह तआला फ़रमाता है, मैंने अपने भक्तों को एकेश्वर का मानने वाला बना कर पैदा किया, परन्तु शैतानों ने उनको उनके धर्म से भटका दिया तथा जो वस्तुएं मैंने उनके लिए हलाल की थीं वे उसने उन पर हराम कर दी। (सहीह मुस्लिम किताबुल जन्न: व सिफ़त नईमिहा व अहलेहा, बाबुस सेफ़ातिल्लती योरफ़ो बिहा फ़िददुन्या अहलुल: जन्न: व अहलुन्नार संख्या-२८६५)।

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

(१६९) वह तुम्हें केवल बुराई तथा अश्लीलता का तथा अल्लाह (तआला) पर उन बातों के कहने का आदेश देता है जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

(१७०) तथा उनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह (तआला) की उतारी हुई किताब (धर्मशास्त्र) का पालन करो तो उत्तर देते हैं कि हम तो उस मार्ग का पालन करेंगे जिस पर हमने अपने पूर्वजों को पाया, यद्यपि उनके पूर्वज मूर्ख तथा भटके हुए हों।[1]

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

(१७१) और काफ़िर उन पशुओं के समान हैं जो अपने चरवाहे की केवल पुकार और स्वर ही को सुनते हैं (समझते नहीं) वह बहरे गूंगे और अंधे हैं, उन्हें बुद्धि नहीं है।[2]

---

[1]आज भी अहले बिदअत को समझाया जाए कि इन नई वार्ता का धर्म में कोई मूल नहीं तो वह यही उत्तर देंगे कि ये रीति-रिवाज़ हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है। यद्यपि पूर्वज भी धर्म के ज्ञान से अनभिज्ञ तथा मार्गदर्शन से वंचित हो सकते हैं। इसलिए धार्मिक नियमों के प्रमाण के समक्ष पूर्वजों के आज्ञा पालन, इमामों का अनुकरण (बिना प्रमाण के उनकी बात माने जाना) पूर्णतया भटकाव है, अल्लाह तआला मुसलमानों को भटकाव के दलदल से निकाले।

[2]इन काफ़िरों का उदाहरण, जिन्होंने अपने पूर्वजों के अनुसरण में अपनी बुध्दि और ज्ञान को छोड़ दिया है, उन पशुओं के समान है, जिनको चरवाह बुलाता और पुकारता है, तो वह जानवर आवाज़ तो सुनते हैं, परन्तु यह नहीं समझते कि उन्हें क्यों बुलाया एवं पुकारा जा रहा है ? इसी प्रकार यह अनुयायी भी बहरे है कि सत्य की आवाज़ नहीं सुनते, गूंगे है कि सत्य बात मुंह से नहीं निकालते, अंधे है कि सत्य देख नहीं सकते और बुध्दिहीन हैं कि सत्य के आमंत्रण और एकेश्वरवाद और सुन्नत के आमंत्रण के समझने योग्य नहीं हैं। यहाँ दुआ से निकट की आवाज़ और निदाअ से दूर की आवाज़ का अर्थ है।

(१७२) ऐ ईमानवालो ! जो (पवित्र) वस्तुएं हमने तुम्हें प्रदान की हैं, उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह (तआला) के कृतज्ञ रहो, यदि तुम मात्र उसी की अराधना करते हो ।[1]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

(१७३) तुम पर मृत एवं रक्त (बहा हुआ), सूअर का माँस और वह प्रत्येक पदार्थ जिस पर अल्लाह के नाम के अतिरिक्त दूसरों के नाम पुकारे जायें निषेध हैं ।[2] परन्तु जो

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ

[1]इसमें ईमानवालों को उन सभी पदार्थों के खाने का आदेश है, जिन्हें अल्लाह ने हलाल की हैं और उस पर अल्लाह का कृतज्ञ होने की बात कही गयी है । उससे तो एक बात यह ज्ञात हुई कि अल्लाह की वैध की हुई वस्तु ही शुध्द एवं पवित्र हैं । निषेध की हुई वस्तु पवित्र नहीं चाहे वे इन्द्रियों को कितनी ही पसंद क्यों न हो (जैसे पाश्चात्य देशों को सूअर का मांस अत्यधिक रुचिकर है । दूसरी यह कि मूर्तियों के नामों समर्पित पशुओं एवं चीज़ों को मूर्तिपूजक अपने ऊपर वर्जित कर लेते थे (जिसका विवरण *सूरः अनआम* में है) मूर्तिपूजकों का यह कर्म गलत है और इस प्रकार एक उचित वस्तु वर्जित नहीं होती, तुम उनकी तरह वर्जित मत करो (निषेध केवल वही है, जिसका विवरण अगली आयत में है) तीसरी यह कि अगर तुम केवल एक अल्लाह की आराधना करने वाले हो, तो कृतज्ञता की ओर ध्यान दो ।

[2]इस आयत में चार निषेद्धि पदार्थों का वर्णन है, परन्तु इसे संक्षिप्त वाक्य (إِنَّمَا) के साथ वर्णित किया गया है, जिससे मस्तिष्क में भ्रम पैदा होता है कि शायद वर्जित केवल चार यही चीज़ें हैं, जबकि इनके अतिरिक्त भी वर्जित कई पदार्थ हैं । इसलिए प्रथम तो यह समझ लेना चाहिए कि यह संक्षेप एक विशेष विषय में आया है अर्थात मूर्तिपूजकों के इस कर्म के सम्बन्ध में कि वह वैध पशुओं को भी अवैध कर लेते थे । अल्लाह (तआला) ने फ़रमाया वह अवैध नहीं, निषेध तो केवल यह हैं । इसलिए इस संक्षिप्त को बढ़ाया गया है अर्थात इसके अतिरिक्त भी अन्य वर्जित हैं जो यहाँ वर्णित नहीं । दूसरी हदीस में दो नियम हैं जो पशुओं के हलाल एवं हराम के लिए वर्णित कर दिये गये हैं । वह आयत की सहीह तफ़सीर (भाष्य) के रूप में सामने रहने चाहिए हिंसक पशुओं में ذو ناب (वह नर भक्षी पशु जो कुचलियों से शिकार करें) और पक्षियों में ذو مخلب (जो पंजों से शिकार करें) वर्जित हैं । तीसरे जिन पशुओं का वर्णन हदीस से सिद्ध है, उदाहरणतः गधा, कुत्ता आदि वह भी निषेध हैं, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि हदीस भी क़ुरआन करीम की तरह धर्म का स्रोत है और धर्म के लिए प्रमाण है और धर्म दोनों के मानने से

ही पूर्ण होता है, न कि हदीस को छोड़कर मात्र क़ुरआन से। मृत से तात्पर्य हर प्रकार के वह उचित पशु-पक्षी हैं, जो धर्म विधि के बिना वध किये गये हों अपनी मौत अथवा किसी दुर्घटना से (जिनकी विस्तृत जानकारी अल-मायद: में है) मर गया हो। अथवा धार्मिक नियमों के विरूद्ध उसका वध किया गया हो, उदाहरणत: गला घोंट दिया जाये अथवा पत्थर या लकड़ी से मारा जाये अथवा जिस प्रकार से आजकल मशीन से वध किया जाता है, जिसमें झटके से मारा जाता है, परन्तु हदीस में दो प्रकार के मृत जानवर उचित किये गये हैं, एक मछली, दूसरी टिड्डी, वह इस नियम मृत से अलग हैं। रक्त से तात्पर्य वध के समय बहने वाला ख़ून है। मांस के साथ जो ख़ून लगा रह जाता है वह वैध है। यहाँ भी दो ख़ून हदीस के अनुसार वैध हैं। कलेजी और तिल्ली। सूअर का मांस, यह निर्लज्जता में बदतरीन जानवर है, अल्लाह ने इसे अवैध किया है। وما أهل वह जानवर अथवा कोई और वस्तु जिसे अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे के नाम पर पुकारा जाये। इसका तात्पर्य वह जानवर है जिनका वध अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के नाम पर किया जाये। जैसे अरब के मूर्तिपूजक लात तथा उज़्ज़ा आदि के नाम पर चढ़ाते थे, अथवा आग के नाम पर, जैसे अग्निपूजक करते हैं। और उसी में वह जानवर भी आ गये, जो अज्ञान मुसलमान मरे हुए धर्मात्माओं के सम्मान, प्रेम उनकी प्रशंसा पात्र तथा निकटता प्राप्त करने के लिए अथवा उनसे डरते और आशा रखते हुए, क़ब्रों एवं आस्तानों पर चढ़ाते हैं, अथवा मुजाविरों को बुर्जगों के नाम पर दे आते हैं (जैसे बहुत से बुज़र्ग की क़ब्रों पर बोर्ड लगे हुए हैं, उदाहरणत: "दाता" साहब की नियाज़ के लिए बक़रे यहाँ जमा किये जायें) इन जानवरों को चाहे काटते समय अल्लाह ही का नाम लिया जाये, यह निषेध ही होंगे। क्योंकि इसका धेय अल्लाह को राज़ी करना नहीं, क़ब्र वाले को राज़ी करने के लिए, और अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे का सम्मान करना अथवा अल्लाह के अतिरिक्त अन्य का भय है, जो शिर्क है। इसी प्रकार से जानवरों के अतिरिक्त जो भी वस्तु नज़र-नियाज़ और चढ़ावे की अल्लाह के अतिरिक्त अन्य के नाम पर होगी. वर्जित होगी, जैसे क़ब्रों पर ले जाकर अथवा वहाँ से ख़रीद कर, क़ब्रों के आसपास भिक्षुकों एवं निर्धनों पर देगों और लंगरों की अथवा मिठाई और पैसों आदि का वितरण और वहाँ के कोषों में नज़र-नियाज़ के पैसे डालना, अथवा उर्स के अवसर पर वहाँ दूध पहुँचाना यह सभी कार्य वर्जित तथा अनुचित हैं, क्योंकि यह सब अल्लाह के अतिरिक्त अन्य की नज़र-नियाज़ की परिस्थितियाँ हैं। और नज़र भी नमाज़ रोज़ा आदि इबादत (अर्चना) की तरह, एक इबादत है और इबादत (वंदना) की हर प्रकार एक अल्लाह से सम्बन्धित है। इसीलिए हदीस में हैं ملعون من ذبح لغير الله (सहीह अल जामेअ अस्सग़ीर व ज्यादत्:, अलबानी भाग२, पृष्ठ १०२४) जिसने अल्लाह के अतिरिक्त के नाम पर जानवर काटा, वह मलऊन (तिरस्कृत) है।

तफ़सीर अज़ीज़ी में निशापुरी की तफ़सीर से उदधृत है।

وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

विवश हो जायें और वह सीमा उल्लंघन करने वाला और अत्याचारी न हो, उसको उनको खाने में कोई पाप नहीं। अल्लाह (तआला) क्षमाशील कृपाशील है।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٤﴾

(१७४) निःसन्देह जो लोग अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब छिपाते हैं, और उसे थोड़े-थोड़े मूल्य पर बेचते हैं। विश्वास करो वे अपने पेट में आग भर रहे हैं, क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उनसे बात भी नहीं करेगा, न उन्हें पवित्र करेगा, उनके लिए कठोर यातनायें हैं।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾

(१७५) यही वह लोग है जिन्होंने कुमार्ग को संमार्ग के बदले और यातना को क्षमा के बदले क्रय कर लिया है। यह लोग आग की यातना कितना सहन करने वाले हैं।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍ ۢ بَعِيْدٍ ﴿١٧٦﴾

(१७६) इन यातनाओं का कारण यही है कि अल्लाह तआला ने सच्ची किताब उतारी, और इस किताब में भेद रखने वाले अवश्य दूर के विभेद में हैं।

أجمع العلماء لو أن مسلما ذبح ذبيحة يريد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتدا و ذبيحته ذبيحة مرتد

(तफ़सीर अज़ीज़ी पृष्ठ ६११, अशरफुल हवाशी से उदृघत) आलिमों की इस बात पर सहमत है कि यदि मुसलमान ने कोई जानवर अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की निकटता प्राप्त करने के उद्देश्य से काटा तो वह मुर्तद हो जायेगा और उसका वध एक मुर्तद का वध होगा।

وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾

रखे, यही सत्यवादी लोग हैं और यही परहेजगार (बुराई से बचने वाले) हैं।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيْفٌ

(१७८) हे, ईमान वालों। तुम पर हत्या किये गये व्यक्ति का बदला लेना फर्ज़ (अनिवार्य) किया गया है, आज़ाद, आज़ाद के बदले, ग़ुलाम, ग़ुलाम के बदले, नारी, नारी के बदले,[1] हाँ यदि जिस किसी को उसके भाई की ओर से क्षमा प्रदान कर दी जाये, उसे भलाई का सम्मान करना चाहिए और

---

[1]अंधकार काल में कोई नियम अथवा विधि तो थी नहीं, इसलिए शक्तिशाली समुदाय के लोग, शक्तिहीन समुदाय पर जिस प्रकार का अत्याचार करना चाहते, करते थे। अत्याचार करने की एक विधि यह थी कि किसी शक्तिशाली समुदाय के पुरुष की हत्या हो जाती, तो वह केवल हत्यारे को वध करने के वजाय हत्यारे के पूरे समुदाय के कई लोगों की हत्या करते, बल्कि कभी कभी पूरे समुदाय को नष्ट करने का प्रयत्न करते और स्त्री के वदले पुरुष की और बन्धुआ के बदले स्वतन्त्र पुरुष की हत्या करते। अल्लाह तआला ने इस अन्तर एवं विशेषता को समाप्त करते हुए फ़रमाया कि जिसकी हत्या होगी वदले में उसके ही समान वध किया जायेगा। हत्यारा स्वतन्त्र है तो बदले में वही स्वतन्त्र पुरुष, बंधुआ है तो बदले में वही बंधुआ तथा स्त्री है तो बदले में उसी स्त्री का वध किया जायेगा, न कि बंधुआ के स्थान पर स्वतन्त्र, स्त्री के स्थान पर पुरुष अथवा पुरुष के स्थान पर कई पुरुषों का वध किय जाये। इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि यदि पुरुष ने किसी स्त्री की हत्या की है, तो वदले में कोई स्त्री की हत्या कर दी जाये अथवा स्त्री पुरुष की हत्या कर दे, तो किसी पुरुष की हत्या कर दी जाय (जैसा कि स्पष्ट शब्दों से भावार्थ निकलता है), वल्कि ये शब्द अवतरण की विशेषता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस हत्यारे ने हत्या की है, उसी का वध किया जायेगा, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री,शक्तिशाली हो अथवा निर्वल «اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»(अल-हदीस अबू दाऊद कितावुल जिहाद) "सभी मुसलमानों के रक्त (पुरुष हों अथवा स्त्री) समान है।" अर्थात आयत का भावार्थ वही है, जो क़ुरआन करीम की दूसरी आयत النفس بالنفس (*अल-मायेदा-४५*) का है। हनफ़ी आलिमों ने इससे तर्क निकालते हुए कहा है कि मुसलमान को काफ़िर के वदले वध किया जायेगा, परन्तु अधिकतर आलिमों का इससे मतभेद है, क्योंकि हदीस में स्पष्ट है «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» (सहीह बुख़ारी, संख्या ६९१५, तथा अस्सुनन) "मुसलमान काफ़िर के वदले वध नहीं किया जायेगा।" (फ़तहुल क़दीर)

مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

आसानी के साथ देयत (धन जो हत्या के बदले लिया जाये अर्थदण्ड) अदा करना चाहिए ।[1] तुम्हारे प्रभु की ओर से यह छूट और कृपा है ।[2] उसके बाद भी जो उल्लघंन करे, उसे अति यातना का सामना करना पड़ेगा ।[3]

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

(१७९) बुद्धिमानो । क़िसास (प्रतिहत्या, हत्यादण्ड) में तुम्हारे लिए जीवन है इस कारण तुम (हत्या करने से) रुकोगे ।[4]

---

[1]क्षमा की दो स्थितियाँ हैं, एक तो बिना कोई धन बदले में लिए अर्थात देयत लिए बिना ही मात्र अल्लाह की प्रशंसापात्र बनने के लिए क्षमा करना, दूसरी स्थिति वध के बजाये देयत स्वीकार कर लेना । यदि यह दूसरी परिस्थिति अपनायी जाये, तो कहा जा रहा है कि देयत लेने वाला भलाई का पालन करे ﴿وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ मे हत्यारे से कहा जा रहा है कि बिना किसी कष्ट दिये अच्छे प्रकार से देयत को अदा करे । हत्या हुये व्यक्ति के निकट सम्बन्धियों ने उस पर कृपा की है उसके बदले में कृतज्ञता ही के साथ दे ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ (अर्रहमान)

[2]यह छूट और दया (अर्थात बदला, क्षमा अथवा देयत तीनों स्थितियाँ) अल्लाह तआला की ओर से तुम पर हुई हैं, वरन् इससे पूर्व तौरात वालों के लिए बदला अथवा क्षमा था, परन्तु देयत नहीं थी तथा इंजील वालों (इसाईयों) में केवल क्षमा ही थी, बदला था न देयत । (इब्ने कसीर)

[3]दैयत, (धन जो मृतक के उत्तराधिकारी हत्यारे से हत्या के बदले में मृत्यु दण्ड क्षमा करने के लिए माँगे) स्वीकारने अथवा ले लेने के पश्चात भी उसकी हत्या कर दे, तो यह अत्याचार की अधिकता है, जिसका दण्ड उसको संसार और परलोक दोनो में भुगतना पड़ेगा ।

[4]जब हत्यारे को यह भय होगा कि हत्या के बदले में उसे भी मार डाला जायेगा, तो वह किसी की भी हत्या करने का साहस नही करेगा । और जिस समाज में हत्या के बदले में यह नियम लागू हो जाता है, वहाँ यह भय समाज को हत्या और रक्तपान से सुरक्षित रखता है, जिससे समाज में अत्यन्त सुख-शान्ति रहती है । इसका अवलोकन सऊदी अरब के समाज में किया जा सकता है, जहाँ इस्लामी नियमों के पालन के ही कारण ईश्वर की कृपा से सुख शान्ति का वातावरण है ।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

(१८०) तुम पर अनिवार्य कर दिया गया है कि जब तुम में से कोई मरने लगे और धन छोड़ जाता हो, तो अपने माता-पिता और सम्बन्धियो के लिए अच्छाई के साथ उत्तरदान कर जाये।[1] सदाचारियों पर यह अनिवार्य स्पष्ट है।

فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

(१८१) अब जो व्यक्ति उसे सुनने के बाद बदल दे, तो उसका पाप बदलने वाले पर ही होगा। नि:सन्देह अल्लाह तआला सुनने वाला एवं जानने वाला है।

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

(१८२) हाँ जो उत्तरदान कर्ता के पक्षपात तथा पाप से डरे[2] और यदि वह उनमें परस्पर सुधार करा दे, तो उस पर पाप नहीं, अल्लाह (तआला) क्षमा करने वाला दयालु है।

---

[1] वसीयत करने का यह आदेश उत्तराधिकारी की आयत उतरने से पहले दिया गया था। अब यह निलंबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है।

«إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (उदघृत अस्सुनन-इब्ने कसीर से लिखित) अल्लाह तआला ने प्रत्येक अधिकारी को उसका अधिकार दे दिया है (अर्थात उत्तराधिकारी के भाग निर्धारित कर दिये हैं) अब किसी उत्तराधिकारी को वसीयत करना उचित नहीं। हाँ अब ऐसे सम्बन्धियों के लिए वसीयत की जा सकती है, जो उत्तराधिकारी न हो अथवा भलाई के मार्ग में ख़र्च करने के लिए भी की जा सकती है, और उसका अधिक से अधिक भाग एक तिहाई माल है, उससे अधिक वसीयत नही की जा सकती। (सहीह बुख़ारी, किताबुल फ़राइद)

[2] جنفا (आकृष्ट होना) का अर्थ है कि ग़लती अथवा भूल से किसी एक सम्बन्धी की ओर अधिक आकृष्ट होकर दूसरों का अधिकार मारना, और إثما से तात्पर्य है कि जान-बूझ कर ऐसा करे (ऐसरूत्तफ़ासीर) अथवा إثما का तात्पर्य पाप की वसीयत है, जिसका बदलना और वैसा न करना आवश्यक है। इसका अर्थ है वसीयत में न्याय का होना आवश्यक है, वरन् जो संसार से जाते-जाते अत्याचारी बने, उसके परलोक में बच सकने की कम आशा है।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾

(१८३) ऐ ईमानवालो तुम पर रोज़े (व्रत जो रमज़ान के महीने में रखे जाते है) अनिवार्य किये गये, जिस प्रकार से तुम से पहले लोगों पर अनिवार्य किये गये थे, ताकि तुम तक़्वा (अल्लाह से भय रखो) का मार्ग अपनाओ ।[1]

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟

(१८४) गणना में कुछ ही दिन हैं, परन्तु यदि तुम में से जो व्यक्ति बीमार हो अथवा यात्रा में हो, तो वह अन्य दिनों में गणना पूरी कर ले ।[2] और जो इसकी सामर्थ्य रखता हो फ़िदया (प्रतिशोध) में एक निर्धन को भोजन दे,[3] फिर जो व्यक्ति सत्कर्म में बढ़ जाये वह

---

[1] صيام-صوم (रोजा, व्रत) उद्गम है, जिसका इस्लामी धार्मिक नियमों के अनुसार अर्थ है प्रात: सूर्य निकलने से पहले रात्रि के अंधकार के बाद जो सफेद प्रकाश वातावरण में होता है, के समय से लेकर सूर्यास्त तक खाने-पीने पत्नी से सम्भोग करने से, अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए रुके रहना, यह इबादत इन्द्रियों की पवित्रता एवं शुद्धता के लिए अति विशेष है, इसलिए इसे तुमसे पहले के समुदायों पर भी अनिवार्य किया गया था । इसका सबसे बड़ा तात्पर्य अल्लाह तआला का दिल में भय उत्पन्न करना है । और दिल से अल्लाह तआला का भय मनुष्य के चरित्र और कर्मों को सुधारने में मूल भूमिका प्रदान करता है ।

[2] यह रोगी और यात्री को छूट दी गयी है कि वह रोग अथवा यात्रा के कारण रमज़ान के महीने के जितने रोज़े न रख सका हो, वह बाद में रखकर गणना पूरी कर दे ।

[3] يطيقونه का एक अनुवाद يتجشمونه अति कठिनता से रोज़ा रख सके। किया गया है (यह आदरणीय इब्ने अब्बास से उदघृत है, ईमाम बुख़ारी ने भी इसे पंसद किया है) अर्थात जो अति बुढ़ापे एवं ऐसे रोग के कारण से, जिसका उपचार से स्वास्थ की आशा न हो, रोज़ा रखने में कठिनाई अनुभव करे, वह एक निर्धन को भोजन फ़िदया (प्रतिशोध) रूप में दे, परन्तु अधिकतर टीकाकार ने इसका अनुवाद् शक्ति रखते हैं । ही किया है, जिसका अर्थ है इस्लाम के प्रारम्भिक काल में रोज़े की आदत न होने के कारण शक्ति रखने वालों को भी छूट दे दी गयी थी कि यदि वह रोज़ा न रखे, तो बदले में एक निर्धन को भोजन कराये परन्तु बाद में ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ के द्वारा इसे निरस्त करके प्रत्येक शक्ति रखने वाले के लिए रोज़ा अनिवार्य कर दिया गया, परन्तु अतिवृद्ध एवं सदैव रोगी के लिए अब

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

उसी के लिए श्रेष्ठ है ।[1] परन्तु तुम्हारे पक्ष में उचित कर्म रोज़े (व्रत) रखना ही है यदि तुम अवगत हो ।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ

(१८५) रमज़ान का महीना वह है, जिस में क़ुरआन उतारा गया ।[2] जो लोगों का

भी यही आदेश है कि वह फ़िदया दे दें और حاملة (गर्भवती) और مرضعة (दूध पिलाने वाली) स्त्रियाँ यदि कठिनाई का आभास करें, तो वह भी रोगी के आदेश में होंगी अर्थात वह रोज़ा न रखें और बाद में छूटे रोज़े रखें। (तोहफ़तुल अहवज़ी शरह त्रिमिज़ी)

[1]जो खुशी से एक निर्धन के अतिरिक्त दो अथवा तीन को भोजन कराये, तो उसके लिए अधिक श्रेयस्कर है।

[2]रमज़ान में क़ुरआन उतरने का अर्थ यह नहीं कि पूरा क़ुरआन किसी एक रमज़ान में उतरा, वरन् यह है कि रमज़ान की शबे क़द्र (आदर वाली रात्रि) में लौह महफ़ूज़ (अल्लाह की वह किताब जिसमें आदि से अन्त तक सभी कुछ लिखा है) से दुनिया के आकाश में उतार दिया गया और वहाँ बैतुल इज़्ज़त (आदर वाला घर) में रख दिया गया। वहाँ से परिस्थितियों के अनुसार लगभग २३ वर्ष तक उतरता रहा। (इब्ने कसीर) इसलिए यह कहना कि क़ुरआन रमज़ान में अथवा लैलतुल क़द्र अथवा लैलतुल मुबारक में उतरा यह सब सत्य है, क्योंकि लौह महफ़ूज़ से तो रमज़ान में ही उतरा है और लैलतुल क़द्र एवं लैलतुल मुबारक यह एक ही रात है अर्थात शुभरात्रि जो रमज़ान में ही आती है। कुछ के निकट इसका तात्पर्य यह है कि क़ुरआन का उतरना रमज़ान के महीने में प्रारम्भ हुआ, और पहली (ईशवाणी) जो हिरा की गुफ़ा (जो मक्के के नूर पर्वत पर है) में रमज़ान के महीने में आयी। इस आधार पर क़ुरआन मजीद और रमज़ानुल मुबारक का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पवित्र महीने में आदरणीय जिब्रील से क़ुरआन सुनते और सुनाया करते थे और जिस वर्ष आपका देहान्त हुआ उस वर्ष आपने रमज़ान में जिब्रील से दो बार सुना और सुनाया। रमज़ान की तीन रातों (२३, २५ और २७) में आपने अपने मित्रों की जमाअत के साथ क़ियामुल्लैल (रात की नमाज़ के लिए खड़ा होना) भी करवाया, जिसको अब तरावीह कहा जाता है। (सहीह त्रिमज़ी एवं सहीह इब्ने माजा, अलबानी) यह तरावीह आठ रकआत और वितर के साथ ग्यारह रकआत थीं जिसका विवरण जाबिर "रज़ी अल्लाह अन्ह" की हदीस में है और इमाम मिरवज़ी ने इसको क़ियामुल्लैल में ब्यान किया है। और आदरणीय आयशा "रज़ी अल्लाह अन्हा" का कथन (सहीह बुख़ारी) में उपस्थित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का २० रकआत तरावीह पढ़ना किसी भी सहीह हदीस से सिद्ध नहीं है।

مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

मार्गदर्शक है, और जो मार्गदर्शन एवं सत्यासत्य के मध्य निर्णायक है, तुममें जो भी इस महीने को पाये, उसे रोज़ा रखना चाहिए, हाँ जो रोगी हो अथवा यात्रा में हो, तो उसे दूसरे दिन में यह गणना पूरी करनी चाहिए। अल्लाह (तआला) की इच्छा तुम्हारे साथ सरलता की है, कठोरता की नहीं, वह चाहता है कि तुम गणना पूरी कर लो, और अल्लाह (तआला) के प्रदान किये गये मार्गदर्शन के अनुसार उसकी महिमा का वर्णन करो एवं उसके कृतज्ञ रहो।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝

(१८६) और जब मेरे बन्दे (भक्त) मेरे विषय में आप से प्रश्न करें तो कह दें कि मैं बहुत ही निकट हूँ, हर प्रार्थी की पुकार को जब कभी भी वह मुझे पुकारे मैं स्वीकार करता हूँ।[1] इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी बात मानें और मुझ में आस्था रखें यही उनकी भलाई का कारण है।

---

[1]रमज़ान मुबारक के नियम एवं आदेश के मध्य दुआ के नियम का वर्णन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि रमज़ान में प्रार्थना (दुआ) का भी बड़ा महत्व है, जिसका अत्यधिक प्रयोजन करना चाहिए, विशेष रुप से इफ़्तार (जब रोज़े के खोलने का समय निकट हो) के समय प्रार्थना के स्वीकार होने का विशेष समय बताया गया है। (मुसनद अहमद, त्रिमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, इब्ने कसीर से लिया गया) फिर भी प्रार्थना के स्वीकार होने के लिए यह भी आवश्यक है कि उन नियमों और आदर को विचार में रखा जाये जो क़ुरआन और हदीस में वर्णित हैं जिसमें से दो को यहाँ वर्णन कर दिया गया है। एक अल्लाह पर किस प्रकार से दृढ़ विश्वास और दूसरा उसके आदेश का पालन एवं अनुसरण। इसी प्रकार से हदीस में हराम भोजन से बचने एवं एकाग्र मन व चित के होने पर बल दिया गया है।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ

(१८७) रोज़े की रातों में अपनी पत्नियों से मिलने की तुम्हें अनुमति है, वह तुम्हारा वस्त्र हैं और तुम उनके वस्त्र हो। तुम्हारे अपभोग का अल्लाह को ज्ञान है, उसने तुम्हारे पश्चाताप को स्वीकार कर तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम्हें उनसे सम्भोग की और अल्लाह (तआला) की लिखी हुई चीज़ को ढूंढ़ने की आज्ञा है, तुम खाते-पीते रहो, यहाँ तक की प्रात:काल की सफेदी का धागा अंधकार के काले धागे से स्पष्ट हो जाये।[1] फिर रात तक रोज़े को पूरा करो।[2] और स्त्रियों से उस समय सम्भोग न करो जबकि तुम मस्जिदों में ऐतेकाफ़ (एक निश्चित समय के लिए अल्लाह की इबादत के उद्देश्य से

---

[1]इस्लाम के प्रारम्भिक काल में एक आदेश यह था कि रोज़ा खोल लेने के पश्चात ईशा (रात्रि) की नमाज अथवा सोने तक खाने-पीने और पत्नी से सम्भोग करने की आज्ञा थी, सोने के पश्चात इनमें से कोई कार्य नहीं किया जा सकता था। स्पष्ट है यह निषेधाज्ञा कठिन थी और इसके अनुसार कार्य करना कठिन था। अल्लाह तआला ने इस आयत में यह दोनों निषेधाज्ञा निरस्त कर दी और इफ़्तार (रोज़ा खोलने के समय) से लेकर प्रात:काल कालिमा छटने तक खाने-पीने तथा पत्नी के साथ सम्भोग करने की आज्ञा प्रदान कर दी। الرفث का अर्थ है पत्नी के साथ सम्भोग करना। الخيط الأبيض से प्रात: कालीन प्रकाश और الخيط الأسود काली धारी से तात्पर्य रात है। (इब्ने कसीर)

प्रश्न: इससे यह भी विदित हुआ कि सम्भोग करने के पश्चात स्थिति में रोज़ा रखा जा सकता है, क्योंकि फ़ज्र (प्रात:काल) तक अल्लाह ने उपरोक्त कार्य की आज्ञा प्रदान की है और सहीह बुखारी और मुस्लिम के वर्णन से भी इसका समर्थन होता है। (इब्ने कसीर)

[2]अर्थात रात्रि होते ही (सूर्यास्त के तुरन्त पश्चात) रोज़ा खोल लो। देर न करो, जैसा कि हदीस में भी रोज़ा शीघ्र खोलने-इफ़्तार करने पर बल दिया गया है और विशेषता बताई गयी है। दूसरा यह कि विसाल न करो, विसाल का अर्थ है कि एक रोज़ा खोले, बिना दूसरा रोज़ा रख लेना। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अति कठोरता के साथ मना किया है। (विवरण के लिए देखें हदीस की किताबें)

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

अपने आपको मस्जिद तक ही सीमित कर लेना) में हो ।[1] यह अल्लाह (तआला) की सीमाएं हैं । तुम इनके निकट भी न जाओ । इसी प्रकार अल्लाह तआला अपनी निशानियां लोगों पर वर्णित करता है, ताकि वे बचें ।

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(१८८) और एक-दूसरे का माल अनाधिकारिक रुप से ना खाया करो, न अधिकारी व्यक्तियों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल अत्याचार से हड़प कर लिया करो । यद्यपि कि तुम जानते हो ।[2]

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ

(१८९) लोग आपसे नये चन्द्रमा के विषय में प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए कि यह

---

[1]ऐतेकाफ़ (रमजान के महीनों में मस्जिद में इबादत के उद्देश्य से अलग थलग रहना) के समय पत्नी से सम्भोग, चुम्बन एवं इसी प्रकार के अन्य कर्मों की आज्ञा नहीं है । परन्तु मिलने के समय बातचीत की जा सकती है । (عٰكِفُوْنَ فِى الْمَسٰجِدِ) से यह भावार्थ लिया गया है कि ऐतेकाफ़ के लिए मस्जिद आवश्यक है । चाहे स्त्री हो या पुरुष । पवित्र पत्नियों (नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियां) ने भी मस्जिद में ऐतेकाफ़ किया है, इसलिए स्त्रियों का अपने घरों में ऐतेकाफ़ में बैठना ठीक नहीं । परन्तु मस्जिद में उनके लिए हर चीज का पुरुषों से अलग प्रबन्ध करना आवश्यक है, ताकि पुरुष के साथ किसी प्रकार का मिलन न हो, जब तक मस्जिद में उचित एवं सुरक्षित तथा पुरुषों से बिलकुल अलग प्रबन्ध न हो, स्त्रियों को मस्जिद में ऐतेकाफ़ में बैठने की आज्ञा नही देनी चाहिए और स्त्रियों को भी इसके लिए हठ नहीं करना चाहिए । यह एक नफ़ली (स्वेच्छात्मक) इबादत ही है, जब तक पूरी सुरक्षा न हो तब तक स्वेच्छात्मक इबादत से अलग रहना श्रेष्ठ है । फ़िक़ह (इस्लामी धर्मशास्त्र) का नियम है (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) भलाईयों की प्राप्ति की अपेक्षा बुराईयों को दूर करना उत्तम है ।

[2]यह ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिसके पास किसी का स्वत्व हो तथा स्वामी के पास कोई प्रमाण न हो । जिसका लाभ उठाकर वह व्यक्ति न्यायालय अथवा अधिकृत अधिकारी से अपने पक्ष में निर्णय करा ले इस प्रकार दूसरे का स्वत्व अपहरण कर ले । यह अत्याचार है और हराम है । अदालत का निर्णय अत्याचार और हराम को उचित नहीं कर सकता । यह अत्याचारी अल्लाह तआला के समक्ष अपराधी होगा । (इब्ने कसीर)

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

लोगों (की इबादत) के समय एवं हज के मौसम के लिए है (एहराम की स्थिति में) और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कोई सत्कर्म नहीं, बल्कि सत्कर्मी वह है जो अल्लाह (तआला) से डरता हो । घरों में उनके द्वार से आया करो ।[1] तथा अल्लाह से डरते रहा करो, ताकि तुम सफल हो जाओ ।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

(१९०) लड़ो अल्लाह के मार्ग में उनसे जो तुम से लड़ते हैं और अत्याचार न करो ।[2] अल्लाह (तआला) अत्याचारी को पंसद नहीं करता है ।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

(१९१) और उन्हें मारो जहाँ भी पाओ एवं उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है और (सुनो) फ़ित्ना (लड़ाई-झगड़ा, फ़साद) हत्या से अधिक बुरा है ।[3] और मस्जिद-ए-हराम के

---

[1]अन्सार अज्ञान काल में जब हज्ज अथवा उमर: का एहराम (हज और उमर: के लिए एक विशेष स्थिति जिसमें पुरूष एक लुंगी और एक ओढ़ने कि चादर जो धार्मिक नियमानुसार लपेटी जाये, बांधता है) बांध लेते, और फिर उसके पश्चात किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, तो अपने घरो में मुख्य द्वार से न प्रवेश करते, बल्कि पीछे की दीवार लांघ कर प्रवेश करते, इसको वह पुण्य समझते । अल्लाह तआला ने कहा कि यह पुण्य नहीं है । (ऐसरूत्तफ़ासीर)

[2]इस आयत में प्रथम बार उन लोगों से लड़ने की आज्ञा दी गयी है, जोसदैव मुसलमानों की हत्या करने के विचार में रहते थे । फिर भी ज़्यादती से रोका गया है, जिसका अर्थ यह है कि कुचलो नहीं स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों को जिनका युद्ध में योगदान न हो हत्या मत करो, वृक्ष आदि को जला देना, पशुओं को अकारण मार डालना भी ज्यादती है, इनसे बचा जाये । (इब्ने कसीर)

[3]इस्लाम धर्म के प्रारम्भिक काल में मक्का शहर में चूँकि मुसलमान निर्बल और बिखरे हुए थे इसलिए काफ़िरों से लड़ना मना था, जब मुसलमान मक्का शहर से स्थानान्तरण करके मदीने आये (जिसे इस्लाम धर्म की परिभाषा में हिजरत कहते हैं) तो मुसलमान की सारी शक्ति एकत्रित हो गयी, फिर उनको धर्म युद्ध (जिहाद) करने की आज्ञा प्रदान की गयी । प्रारम्भ में आप केवल उन्हीं से लड़ते, जो मुसलमानों से लड़ते, परन्तु इसके

पास उनसे लड़ाई न करो, जब तक कि वे स्वयं तुमसे न लड़े। यदि वे तुमसे लड़ें, तो तुम भी उन्हें मारो।[1] काफ़िरों का बदला यही है।	حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾
(१९२) यदि वे मान जायें, तो अल्लाह (तआला) अति क्षमाशील एवं दयालु है।	فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾
(१९३) और उनसे लड़ो, जब तक कि उपद्रव न मिट जाये और अल्लाह (तआला) का धर्म विधान रह जाये, यदि वह रुक जायें (तो तुम भी रुक जाओ) अत्याचार तो केवल अत्याचारियों पर है।	وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾
(१९४) प्रतिष्ठित मास के बदले प्रतिष्ठित मास हैं और प्रतिष्ठायें आदान-प्रदान की हैं[2] जो	اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ۭ فَمَنِ اعْتَدٰى

पश्चात इसको और विस्तृत किया गया, और मुसलमानों ने आवश्यकता अनुसार काफ़िरों के क्षेत्र में भी जाकर युद्ध किया। कुरआन करीम ने اعتداء (ज़्यादती से) से मना किया है, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेना को विशेष रुप से निर्देश देते कि अपभाग तथा विश्वासघात न करना किसी लाश को कुचलना नहीं, बच्चों, स्त्रियों, गिरजाघरों में पूजा में लीन व्यक्तियों, उस धर्म के संतों की हत्या न करना। इसी प्रकार वृक्षों को जलाने से और पशुओं को अनावश्यक रुप से मारने से मना किया। (इब्ने कसीर-उदघृत सहीह मुस्लिम आदि) फ़ितना से तात्पर्य कुफ्र और शिर्क अनिश्वरवाद एवं मिश्रणवाद है, जो हत्या से बड़ा पाप है, अतएव इसको समाप्त करने के लिए जिहाद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए।

[1] हरम की सीमा में लड़ना मना है, परन्तु यदि काफ़िर इसका आदर न करें, और तुमसे लड़े, तो तुम्हें भी उनसे लड़ने की आज्ञा है।

[2] ६ हिजरी में रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चौदह सौ साथियों के साथ उमर: के लिए निकले थे, परन्तु मक्का के काफ़िरों ने उन्हें मक्का नहीं जाने दिया और अन्त में यह सन्धि हुई कि अगले वर्ष मुसलमान तीन दिन के लिए उमर: के विचार से मक्का आ सकेंगे। यह ज़ीकादा का महीना था, जो आदरणीय महीनों में से एक है। जब दूसरे वर्ष सन्धि के अनुसार मुसलमान उमर: के विचार से निकलने लगे तो अल्लाह तआला

عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾

तुम पर अत्याचार करे तुम भी उस पर उसी प्रकार का अत्याचार करो, जो तुम पर किया है और अल्लाह तआला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह (तआला) संयमियों के साथ है।

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾

(१९५) और अल्लाह (तआला) के मार्ग में ख़र्च करो और अपने हाथों कष्ट में न पड़ो[1] उपकार करो अल्लाह परोपकारियों से प्रेम करता है।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۭ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى

(१९६) और हज एवं उमरे को अल्लाह तआला के लिए पूरा करो।[2] और यदि तुम रोक दिये जाओ, तो जो भी बलि उपलब्ध हो उसे कर डालो।[3] और अपने सिर न मुँडवाओ जब

ने यह आयत उतारी। इसका अर्थ यह है कि इस बार भी यदि मक्का के मिश्रणवादी इस महीने के आदर और सम्मान को किनारे रख (पिछले वर्ष की भाँति) और तुम्हें मक्का में प्रवेश करने से रोकें, तो तुम भी उसके आदर और सम्मान की चिन्ता न करना, उनसे पूरी तरह से सामना करना। आदर और सम्मान रखने में बदला है, अर्थात वह आदर व सम्मान का ख़्याल रखें तो तुम भी आदर और सम्मान करो। यदि वह ऐसा न करें तो तुम भी इसकी चिन्ता छोड़ कर काफ़िरों को कठोर एवं असहनीय पाठ पढ़ाओ। (इब्ने कसीर)

[1]इससे कुछ लोगों ने धन व्यय का त्याग, कुछ ने धर्म युद्ध त्याग, तथा कुछ ने पाप पर पाप किये जाना भावार्थ लिया है। और यह सारी परिस्थितियाँ नाश की हैं, जिहाद छोड़ दोगे अथवा जिहाद के लिए माल दान न करोगे, तो शत्रु शक्तिशाली होगा, और तुम कमज़ोर होगे, परिणाम तुम्हारा विनाश।

[2]अर्थात हज्ज अथवा उमरे का "एहराम" बाँध लो, तो उसको पूरा करना आवश्यक है, चाहे स्वेच्छात्मक हज्ज व उमर: ही हो। (ऐसरूत्तफ़ासीर)

[3]यदि मार्ग में शत्रु अथवा भयंकर रोग के कारण रुकावट आ जाये, तो एक जानवर (हदी)। बकरी, गाय अथवा ऊँट जो भी उपलब्ध हो, वहीं बलि देकर सिर मुँडा लो और एहराम खोल दो, जिस प्रकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने हुदैबिया के स्थान पर कुर्बानियों की बलि दी थी, हुदैबिया का स्थान "हरम" की सीमा से बाहर है।

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ

तक कि बलि, बलि स्थल तक न पहुँच जाये [1] तुममें से जो रोगी हो अथवा उसके सिर में कोई पीड़ा हो जिसके कारण वह सिर मुँडवा ले तो उस पर फ़िदया है कि चाहे तो वह व्रत (रोज़ा) रख ले, अथवा चाहे तो दान दे, अथवा बलि करे[2] परन्तु जैसे ही शान्ति की स्थिति हो जाये, तो जो उमरे से लेकर हज तक तमत्तुअ़ (लाभान्वित) करे, बस उसे जो भी बलि उपलब्ध हो उसे कर डाले। जिसमें सामर्थ्य न हो वह तीन रोज़े (व्रत) तो हज के दिनों में रख ले और सात वापसी में यह पूरे दस हो गये।[3] यह आदेश उनके लिए है जो

(फ़तहुल क़दीर) और अगले वर्ष उसकी क़ज़ा (बदला) दो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ६ हिजरी वाले उमरे की क़ज़ा (बदला) ७ हिजरी में दी।

[1]इसका प्रभाव﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ ﴾पर है और इसका सम्बन्ध शान्ति की स्थिति से है अर्थात शान्ति की स्थिति में उस समय तक सिर न मुँडवाओ (एहराम खोल कर हलाल न हो) जब तक हज्ज अथवा उमरे के सभी कार्य पूरे न कर लो।

[2]अर्थात उसको कोई ऐसा रोग हो जाये कि उसको सिर मुँडवाना पड़ जाये, तो उसका फ़िदया (प्रतिशोध) आवश्यक है। हदीस के अनुसार ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह ६ भूखे लोगों को भोजन कराये अथवा एक बकरी की बलि दे अथवा तीन रोज़े (व्रत) रखे। रोज़ों के अतिरिक्त शेष दो प्रतिशोध के स्थान के विषय में मतभेद है। कुछ कहते है कि भोजन अथवा बलि मक्का में ही दें, कुछ कहते हैं कि रोज़े की भाँति इसके लिए भी स्थान निर्धारित नहीं है। शौकानी ने इसी मत का समर्थन किया है। (फ़तहुल क़दीर)

[3]हज्ज तीन प्रकार से किया जा सकता है, जिनके तीन नाम हैं, (१) इफ़राद - केवल हज्ज के विचार से एहराम बाँधना, (२) क़िरान - हज्ज और उमर: दोनो का विचार एक साथ करके एहराम बाँधना। इन दोनो परिस्थितयों में हज्ज के सभी कर्म पूरा किये बिना एहराम खोलना जायज़ (उचित) नहीं है। (३) हज्ज-ए-तमत्तुअ - इसमें भी हज्ज और उमर: दोनो का विचार होता है, परन्तु पहले केवल उमर: का विचार करके एहराम बाँधा जाता है, और फिर उमर: करके एहराम खोल दिया जाता है और फिर ८ ज़िलहिज्जा को ही हज्ज के लिए मक्का ही से दोबारा एहराम बाँधा जाता है, तमत्तुअ का अर्थ है, लाभ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾

मस्जिद-ए-हराम (मक्का) के रहने वाले न हों।[1] (लोगों)! अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह (तआला) कठोर यातनायें देने वाला है।

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

(१९७) हज के महीने निर्धारित हैं।[2] इसलिए जो इनमें हज निर्धारित करे वह अपनी पत्नी

उठाना। अर्थात एहराम उतारकर उमर: और हज्ज के मध्य लाभ उठा लिया जाता है। हज्ज-क़िरान और हज्ज-तमत्तुअ दोनो में ही एक हदी (एक जानवर की बलि) देनी है। इस आयत में इसी हज्ज तमत्तुअ के आदेशों का वर्णन है। तमत्तुअ करने वाला शक्ति अनुसार १० जिलहिज्जा को एक जानवर की वलि दे, यदि बलि देनें की शक्ति न हो, तो तीन रोज़े हज्ज के दिनों में और सात घर जाकर पूरा करे। हज्ज के दिन, जिनमें रोज़े रखने है ९ जिलहिज्जा (अरफ़ात का दिन) से पहले अथवा तशरीक के दिन है। (फ़तहुल क़दीर)

[1]अर्थात तमत्तुअ और उसके कारण हदी अथवा रोज़े केवल उन लोगों के लिए है जो मक्कावासी न हों, तात्पर्य हरम की सीमा में अथवा इतनी दूरी पर हो जिस पर कस्र (नमाज में छूट) का नियम न लगता हो। (इब्ने कसीर कथानुसार इब्ने जरीर)

[2]और यह हैं शव्वाल, जीक़ाद, और जिलहज्ज के दस दिन। तात्पर्य यह है कि उमर: तो वर्ष के दिनों में भी हो सकता है, परन्तु हज्ज तो कुछ निर्धारित दिनों में ही होता है, इसलिए उसका एहराम हज्ज के महीनों के अतिरिक्त बाँधना उचित नहीं। (इब्ने कसीर)

प्रश्न: हज्ज-क़िरान और इफ़राद का एहराम मक्कावासी मक्के से ही बाँधेगें, परन्तु तमत्तुअ के लिए उमर: का एहराम बाँधने के लिए हरम की सीमा के बाहर (जिसे हिल्ल कहते है), उनको जाना आवश्यक है। (फ़तहुल क़दीर, किताबुल हज्ज व बाबुल उमर: तथा मुअता इमाम मलिक) इसी प्रकार मक्का के शहर से बाहर से आये हुए लोग (जिन्हें आफ़ाक़ी कहते है) हज्ज तमत्तुअ में ८ ज़िलहिज्जा को मक्का ही से एहराम बाँधेगे। परन्तु कुछ विद्वानों का कथन है कि मक्कावासियों को भी हरम की सीमा से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह हर प्रकार के हज्ज के लिए एहराम अपने स्थान से बाँध सकते हैं।

सूचना : हाफ़िज इब्ने क़य्यिम ने लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनी व करनी से केवल दो प्रकार के उमरों की पुष्टि होती है। एक वह जो हज्ज तमत्तुअ के साथ किया जाये और दूसरा उमर: मात्र जो हज्ज के दिनों के अतिरिक्त केवल उमरे कि

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

से सहवास करने, पाप करने, और लड़ाई-झगड़ा करने से बचता रहे।[1] तुम जो पुण्य का कार्य करोगे, उसे अल्लाह (तआला) जानने वाला है, और अपने साथ यात्रा व्यय ले लिया करो, सर्वश्रेष्ठ मार्ग व्यय तो अल्लाह का भय है[2] और ऐ बुद्धिमानो मुझसे डरते रहा करो।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

(१९८) तुम पर अपने प्रभु की कृपा ढूंढ़ने में कोई पाप नहीं।[3] जब तुम अरफ़ात से लौटो तो मशअरे हराम (मुज़्दलिफ़ा) के निकट अल्लाह की महिमागान करो और उसकी महिमा का वर्णन उस प्रकार करो, जैसे कि उसने तुम्हें निर्देश दिये हैं, हालांकि तुम उससे पहले गुमराहों में थे।[4]

विचार से ही यात्रा की जाये शेष हरम से जाकर किसी निकटवर्ती हिल्ल (हरम सीमा से बाहर) से उमरे के लिए एहराम बांधना बिना पुष्टि के है। (ज़ादुल मआद, भाग-,२नया प्रकाशन)

[1]सहीह बुख़ारी और मुस्लिम में हदीस है।

«مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ؛ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». (बुख़ारी, किताबुल मोहसर)

"जिसने हज्ज किया और बुरी, लड़ाई-झगड़े की बातों से बचा, वह पाप से इस प्रकार पवित्र हो गया, जैसे उस दिन पवित्र था जिस दिन उसकी माँ ने जन्म दिया था।"

[2]तक़्वा (अल्लाह तआला का भय) से तात्पर्य यहाँ भीख माँगने से बचना है। कुछ लोग बिना कोई मार्ग व्यय लिए ही हज्ज के लिए निकल पड़ते हैं और कहते है कि हमारा तो अल्लाह पर पूर्ण भरोसा है, अल्लाह ने भरोसे के इस भावार्थ को त्रुटिपूर्ण बताया है, और मार्ग व्यय साथ लेने पर बल दिया है।

[3]कृपा का अर्थ व्यापार एवं व्यवसाय है अर्थात हज्ज की यात्रा करते समय व्यापार करने में कोई प्रतिबंध नहीं।

[4] ९ जिलहिज्जा को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अरफ़ात के मैदान में रुकना हज्ज का सर्वश्रेष्ठ स्तम्भ है, जिसके विषय में हदीस में कहा गया है. «الْحَجُّ عَرَفَةُ» (अरफ़ात में रुकना ही हज्ज है) यहाँ मग़रिब (सायंकालीन) की नमाज़ नहीं पढ़नी है, बल्कि मुज़्दलिफ़ा के

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۹﴾

(१९९) फिर तुम उस स्थान से लौटो जिस स्थान से सभी लोग लौटते हैं।[1] और अल्लाह (तआला) से क्षमा-याचना करते रहो, नि:सन्देह अल्लाह (तआला) क्षमाशील अति कृपालु है।

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰۰﴾

(२००) फिर जब तुम हज के प्रत्येक कार्य पूरे कर लो, तो अल्लाह (तआला) को याद करो, जिस प्रकार से तुम अपने पूर्वजों को याद करते थे, बल्कि उससे अधिक।[2] कुछ लोग वह भी हैं, जो कहते है, "हमारे प्रभु ! हमें इस संसार में प्रदान कर दे, ऐसे लोगों का परलोक में कोई भाग नहीं है।"

स्थान पर पँहुचकर मग़रिब (सायंकालीन) की नमाज तीन रकात और ईशा (रात्रिकालीन) की नमाज दो रकाअत एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ पढ़नी है, मुज़्दलिफ़ा को "मशअरुल हराम" कहा गया है, क्योंकि यह हरम की सीमा के भीतर है। यहाँ अल्लाह की याद के लिए बल दिया गया है। यहाँ रात्रि व्यतीत करनी है, फ़ज्र की नमाज़ ग़लस (अँधेरे) में अर्थात प्रथम समय में पढ़कर सूर्योदय तक अल्लाह की याद में लीन रहा जाये और सूर्योदय के उपरान्त "मिना" के स्थान के लिए प्रस्थान किया जाये।

[1]उपरोक्त वर्णित विधिपूर्वक श्रेणी के अनुसार "अरफ़ात" जाना और वहाँ विराम करके वापस आना आवश्यक बताया गया है, परन्तु अरफ़ात हरम से बाहर होने के कारण मक्का के क़ुरैश अरफ़ात तक नहीं जाते थे, बल्कि मुज़्दलिफ़ा से ही लौट आते थे, अतएव आदेश दिया जा रहा है कि जहाँ से सब लोग लौट कर आते हैं, वहीं से लौटकर आओ अर्थात अरफ़ात से।

[2]अरब के लोग हज्ज के पश्चात मिना के स्थान पर मेला लगाते और अपने-अपने पूर्वजों का गुणगान करते। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब १० ज़िलहिज्जा को कंकरियाँ मारकर, बलि देकर, सिर मुँडवाकर, काअबा की परिक्रमा करके और सफ़ा और मरवा के मध्य सअई करके छुटकारा पाओ, तो उसके पश्चात तीन दिन मिना में रुकना है, और वहाँ अल्लाह की बहुत याद करो, जैसे कि अज्ञानता के समय तुम अपने पूवर्जों की चर्चा करते थे।

(२०१) और कुछ लोग वह भी हैं, जो कहते हैं, "ऐ हमारे पालनहार ! हमें इस संसार में भलाई प्रदान कर ।[1] और परलोक में भी भलाई प्रदान कर और हमें नरक की यातना से बचा दे ।"

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

(२०२) ये वे लोग हैं जिनके लिए उनके कर्मों का भाग है और अल्लाह (तआला) शीघ्र हिसाब लेने वाला है ।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾

(२०३) और अल्लाह (तआला) की याद उन गणना के कुछ दिनों (तशरीक़ के दिन) में करो ।[2] दो दिन की जल्दी करने वाले पर कोई पाप नहीं, और जो पीछे रह जाये उस पर भी कोई पाप नहीं[3] यह परहेज़गार (महान व्यक्ति) के लिए है, एवं अल्लाह (तआला) से

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

---

[1]अर्थात पुण्य के कार्य करने का अवसर प्राप्त होना, अर्थात ईमानवाले संसार में रहकर सांसारिक वैभव की कामना नहीं करते, बल्कि पुण्य करने के अवसर प्राप्त करने की कामना करते हैं । नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यधिक इस दुआ को पढ़ा करते थे । काअबा की परिक्रमा करते समय लोग प्रत्येक चक्कर में भिन्न- भिन्न दुआऐ पढ़ते हैं, जो बनावटी हैं । परिक्रमा करते समय यही दुआ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً यमानी कोने से हजरे अस्वद (काले पत्थर) के मध्य पढ़ना सुन्नत के अनुसार कर्म है ।

[2]तात्पर्य तशरीक़ के दिन हैं, अर्थात ११,१२ तथा १३ ज़िलहिज्जा । इन दिनों में अल्लाह तआला के वर्णन से तात्पर्य यह है कि उच्च स्वर के साथ सुन्नत के अनुसार निर्धारित तकबीर कहे । केवल अनिवार्य (फ़र्ज़) नमाज़ों के बाद ही नहीं (जैसा कि एक अस्पष्ट हदीस के आधार पर प्रसिद्ध है), बल्कि हर समय यह तकबीर पढ़ी जाये (अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला ईलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिलहम्द) जमरात को कंकरियाँ मारते समय ही कंकरी के साथ तकबीर पढ़नी सुन्नत के अनुरुप है । (नैलुल अवतार भाग ५ पृ० ८६)

[3]जमरात को कंकरियाँ मारना, तीन दिन श्रेष्ठ हैं, परन्तु यदि कोई दो दिन के बाद मिना से वापस आ जाये तो उसकी भी आज्ञा है ।

डरते रहो, और जान रखो, कि तुम सव उसी की ओर एकत्रित किये जाओगे।

(२०४) और कुछ लोगों की सांसारिक बातें आपको प्रसन्न कर देती हैं और वह अपने दिल की बातोपर अल्लाह को साक्षी करता है, हालांकि वास्तव में वह अति झगड़ालू है।[1]

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

(२०५) और जब वह लौट कर जाता है, तो धरती में उपद्रव फैलाने और खेती एवं मानव संतति के विनाश के प्रयत्न में लगा रहता है और अल्लाह (तआला) उपद्रव को पसंद नहीं करता है।

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

(२०६) और जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डर, तो घमण्ड उसे पाप पर पारित कर देता है। ऐसे के लिए केवल नरक ही है, और निःसन्देह वह बहुत बुरा स्थान है।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

(२०७) और कुछ लोग वह भी हैं जो कि अल्लाह (तआला) की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए अपनी जान तक बेच डालते हैं।[2] और

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ

---

[1] कुछ अस्पष्ट कथा के अनुसार यह आयत एक मुनाफ़िक (अवसरवादी) अखनस पुत्र शुरैक सकफ़ी के लिए उतरी, परन्तु सहीह वात यह है कि इसका तात्पर्य सभी मुनाफ़िकों एवं घमण्डियों से है, जिनमें यह घृणित बुराईयां पाई जाये, जो क़ुरआन में उनके विषय में वर्णित किया गया है।

[2] यह आयत, कहते हैं कि आदरणीय सुहैब रुमी के लिए उतरी है, जव वह हिजरत करने लगे, तो काफ़िरों ने कहा कि यह माल तो यहां का कमाया हुआ है, इसे हम साथ नहीं ले जाने देंगे, आदरणीय सुहैव रुमी ने यह सारा माल उनके हवाले कर दिया और धर्म साथ लेकर नवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हो गये। आपने सुनकर कहा "सुहैव ने लाभदायक व्यापार किया है" दो बार कहा। (फ़तहुल क़दीर) परन्तु यह आयत भी सामान्य रुप से प्रसिद्ध है और उन सभी ईमानवालों और अल्लाह तआला से डरने

رَءُوفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

अल्लाह (तआला) अपने बन्दों (भक्तों) पर बड़ा स्नेह करने वाला है।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱدْخُلُوا۟ فِى ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

(२०८) ऐ ईमानवालो, इस्लाम में पूर्ण रुप से प्रवेश करो और शैतान के पद चिन्हों का अनुकरण न करो।[1] वह तुम्हारा खुला शत्रु है।

فَإِن زَلَلْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ

(२०९) यदि तुम निशानियों के आ जाने के उपरान्त भी विचलित हो जाओ, तो जान लो

वालों एवं दुनिया की अपेक्षा धर्म और परलोक को श्रेष्ठता देने वालों को भी सम्मिलित करती है। क्योंकि इस प्रकार की सभी आयतों के विषय में जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उतरी, यही नियम है. (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) अर्थात शब्द का सामान्य अर्थ लिया जायेगा विशेष कारण नहीं जिस प्रकार से अखननस बिन शुरैक (जिसका वर्णन पिछली आयत में हो चुका है)। कुकर्मों का एक उदाहरण है, जो हर उस व्यक्ति के लिए उसके अनुरुप होगा जिसका कर्म उसके अनुरुप होगा। और सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु सत्कर्म और पूर्ण ईमान का एक उदाहरण है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है, जो उनके अनुरुप सत्कर्मों से अलंकृत होगा।

[1]ईमानवालों को कहा जा रहा है कि पूर्णरुप से इस्लाम में प्रवेश कर लो। इस प्रकार न करो कि जो बातें तुम्हारे अपने लाभ तथा आकांक्षानुसार हैं, तो उन्हें अपना लो, शेष को छोड़ दो। इसी प्रकार जो बातें तुम छोड़ आये हो उसे इस्लाम धर्म में मिश्रित करने का प्रयत्न न करो, बल्कि केवल इस्लाम धर्म के नियमों को पूर्णरुप से अपनाओ। इससे धर्म में नयी प्रथाओं के सम्मिलित करने से नकारा गया है, और आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचार जो इस्लाम धर्म को पूर्ण रुप से अपनाने के लिए तैयार नही है उनका भी खण्डन किया गया है। बल्कि जो धर्म को मस्जिदों की इबादतों तक सीमित करना चाहता और राजनीति और राजकीय विधायिकाओं से अलग रखना चाहता है। इसी प्रकार जनता को भी समझाया जा रहा है जो प्रथा और रीति-रिवाज और क्षेत्रीय संस्कृत लोक कथाओं को पसन्द करते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते, जैसे मृत्यु और विवाह के समय अनावश्यक धन ख़र्च करना, जैसाकि अन्य धर्म की रीति और प्रथा से होता है। और कहा जा रहा है कि शैतान के पदचिन्हों पर न चलो। जो तुम्हें इस्लाम धर्म के विपरीत उपरोक्त वर्णित बातों के लिए बड़े सुन्दर तर्क प्रस्तुत करता है, बुराईयों पर मन लुभावन चादरें चढ़ाकर और नई रीतियों को भी पुण्य सिद्ध करता है, ताकि उसके मन भावन जाल में फंसे रहें।

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾

कि अल्लाह (तआला) सर्वशक्तिशाली और विधाता है।

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

(२१०) क्या लोगों को इस बात की प्रतिक्षा है कि अल्लाह (तआला) स्वयं बादलों के झुरमुट में आ जाये, एवं फ़रिश्ते भी, और काम का अन्त कर दिया जाये,[1] अल्लाह ही की ओर सभी कार्य लौटाये जाते हैं।

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

(२११) इस्राईल की सन्तान से पूछो कि हमने उन्हें कितनी स्पष्ट निशानियाँ प्रदान कीं।[2] और जो अल्लाह (तआला) के पुरस्कार को अपने पास पहुंच जाने के उपरान्त बदल डाले [3](वह जान ले) कि अल्लाह (तआला) भी कठोर यातनाओं का देने वाला है।

زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا

(२१२) काफ़िरो के लिए सांसारिक जीवन सुशोभित कर दिया गया है, और वह ईमानवालों

---

[1]यह या तो प्रलय (क़ियामत) का दृश्य है (जैसाकि कुछ टीकारों के वर्णित हैं। (इब्ने कसीर) अर्थात क्या यह क़ियामत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? या फिर उसका यह अर्थ है कि अल्लाह तआला फ़रिश्तों के जलूस में और बादलों की छाया में उनके सामने आये और निर्णय कर दे, तब वह ईमान लायेंगे, परन्तु ऐसा इस्लाम स्वीकार करने योग्य ही नहीं, इसलिए इस्लाम धर्म स्वीकार करने में देर न करो और शीघ्र इस्लाम धर्म स्वीकार करके अपना परलोक सुधार लो।

[2]उदाहरणत: मूसा की छड़ी, जिसके द्वारा हमने जादूगरों के जादू को तोड़ा, समुद्र में मार्ग बनाया, पत्थर से बारह स्रोत निकाले, बादलों की छाया, मन्न व सलवा का उतरना आदि जो अल्लाह तआला की शक्ति और हमारे पैगम्बरों की सच्चाई के प्रमाण थे, परन्तु उसके पश्चात भी उन्होंने अल्लाह तआला के आदेशों की अवेहलना की।

[3]अनुकम्पा में परिवर्तन करने से तात्पर्य यही है कि विश्वास के बदले अविश्वास किया तथा विमुखता का मार्ग अपनाया।

وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

से हँसी मज़ाक करते हैं ।[1] यद्यपि जिन्होंने धर्म परायणता के गुण किये प्रलय (क़ियामत) के दिन उनसे उच्चतम होंगे । अल्लाह (तआला) जिसे चाहता है अंगणित प्रदान करता है ।[2]

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۫ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ

(२१३) वास्तव में लोग एक ही मत थे ।[3] फिर अल्लाह (तआला) ने नबियों को शुभ सन्देश देने और सचेत करने को भेजा और उनके साथ सत्यशास्त्र उतारी, ताकि लोगों के प्रत्येक मतभेद का निर्णय हो जाये । और केवल उन्हीं लोगों ने जो उसे दिये गये थे अपने पास तर्क आ चुकने के उपरान्त आपसी द्वेष एवं घमण्ड के कारण से उसमें

---

[1]चूंकि मुसलमानों का बहुमत निर्धनों पर आधारित था, जो सांसारिक वैभव और आराम से मुक्त थे, इसलिए काफ़िर अर्थात मक्का के क़ुरैश उनका उपहास उड़ाते थे, जैसाकि धनवानों का हर समय यही कर्म रहा है ।

[2]अधर्मी जिन निर्धन एवं सीधे सादे मुसलमानों का उपहास तथा परिहास करते थे, उसका वर्णन करके कहा जा रहा है कि क़ियामत के दिन यह निर्धन लोग अपने अल्लाह तआला की आज्ञा पालन के कारण उच्च पदों पर आसीन होंगे "अत्याधिक वृत्ति" का सम्बन्ध आख़िरत के अतिरिक्त दुनिया से भी हो सकता है, कि कुछ ही वर्षों पश्चात इन निर्धनों के लिए विजय का द्वार खोल दिया गया, जिसके कारण वृत्ति की अधिकता हो गयी ।

[3]अर्थात एकेश्वरवाद, यह आदरणीय आदम से आदरणीय नूह, अर्थात दस शताब्दियों तक लोग मात्र एकेश्वरवादी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहचर व्याख्याकारों ने आयत में فاختلفوا को लिप्त माना है, अर्थात इसके बाद शैतान के शंका पैदा करने से उनके मध्य मतभेद पैदा हो गया और मूर्तियो एवं प्राकृतिक दृश्यों की पूजा की साधारण चलन हो गयी فبعث इसका आधार فاختلفوا (जो लिप्त है) पर है । परन्तु अल्लाह तआला ने नबियों को किताबों के साथ भेजा ताकि वे इसके आधार पर लोगों के मध्य मतभेद का निर्णय और सत्य एवं एकेश्वरवाद को स्थापित तथा स्पष्ट करे । (इब्ने कसीर)

الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

विभेद किया ।[1] इसलिए अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों के इस मतभेद में भी सत्य की ओर अपनी अनुमति द्वारा मार्गदर्शन किया ।[2] और अल्लाह जिसको चाहे सीधे मार्ग की ओर अग्रसर करता है ।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ

(२१४) क्या तुम यह विचार कर बैठे हो कि स्वर्ग में चले जाओगे ? यद्यपि अब तक तुम पर वह स्थिति नहीं आयी, जो तुमसे अगलों पर आयी[3] उन्हें निर्धनता एवं रोग पहुँचा, और

---

[1]मतभेद सदैव सतमार्ग से विचलित होने के कारण ही होता है, इस विचलन का आधार अहंकार, घमण्ड, पक्षपात एवं वैमनस्य ही बनता है। मुस्लिम समुदाय में जब तक यह विचलन नहीं आया, यह समुदाय अपने शुद्ध रुप में स्थित एवं मतभेद से सुरक्षित रही, परन्तु अनुकरणवाद तथा तर्क-विर्तक ने सत्य मार्ग को छोड़ने का जो मार्ग खोला, उससे मतभेद की परिधि फैलती एवं बढ़ती गयी, यहां तक कि समुदाय की एकता एक असम्भव चीज़ बनकर रह गयी है।

[2]अतएव उदाहरणत: किताब वालों ने जुमे में मतभेद किया यहूदियों ने शनिवार को और ईसाईयों ने रविवार को अपना पवित्र दिन माना तो अल्लाह तआला ने मुसलमानों को "जुमे" का दिन प्रयोग करने का सौभाग्य प्रदान किया, उन्होंने आदरणीय ईसा के विषय में मतभेद किया और यहूदियों ने उनको झुठलाया और उनकी माता आदरणीया मरियम पर आरोप लगाया, इसके विपरीत ईसाईयों ने उन्हें अल्लाह का बेटा और पूज्य बना दिया। अल्लाह ने मुसलमानों को उनके विषय में सत्य पक्ष अपनाने की शक्ति प्रदान की, कि वह अल्लाह के पैग़म्बर (दूत) और उसके आज्ञाकारी भक्त थे। आदरणीय इब्राहीम के विषय में भी उन्होंने मतभेद किया, एक ने यहूदी और दूसरे ने ईसाई कहा, मुसलमानों को अल्लाह तआला ने सच बात बतायी कि वह अल्लाह के आज्ञाकारी और एकाग्र थे और इस प्रकार कई प्रश्न पर अल्लाह तआला ने अपनी कृपा अर्थात अपनी दया से मुसलमानों को सीधी राह दिखायी।

[3]मदीना की ओर हिजरत (मक्का से मदीना इस्लाम धर्म स्वीकार करने के कारण जो हिजरत हुई है) के पश्चात जब मुसलमानों को यहूदियों, अवसरवादियों तथा अरब के मूर्तिपूजकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कष्ट एवं कठिनाईयां पंहुचने के बाद कुछ मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की जिस पर मुसलमानों को अल्लाह तआला ने यह आयत उतारकर सांत्वना दी और स्वयं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया

الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ﴿۲۱۴﴾

वह यहाँ तक झिंझोड़े गये कि रसूल और उनके साथ के ईमान वाले लोग कहने लगे कि अल्लाह की सहायता कब आयेगी ? सुन रखो कि अल्लाह की सहायता निकट ही है ।[1]

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۲۱۵﴾

(२१५) आपसे पूछते हैं कि वह क्या ख़र्च करें, आप कह दिजिए कि जो धन तुम ख़र्च करो वह माता-पिता के लिए, तथा सम्बन्धियों, एवं अनाथों और निर्धनों, तथा यात्रियों के लिए है ।[2] और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह (तआला) को उसका ज्ञान है ।

तुमसे पहले लोगों को उनके सिर से लेकर पैर तक आरे से चीरा गया और लोहे की कंघी के द्वारा उनका माँस खुर्चा गया, लेकिन यह अत्याचार और यातनायें भी उनको अपने धर्म से नही फिरा सकीं । फिर फ़रमाया "अल्लाह की क़सम ! अल्लाह तआला इस मामले को पूर्ण (अर्थात इस्लाम को विजयी) करेगा । यहाँ तक कि एक सवार सन्आ से (यमन की राजधानी है) हजर मूत तक अकेला यात्रा करेगा और उसे अल्लाह के अतिरिक्त किसी का भय न होगा ।"(अल हदीस सहीह बुख़ारी ६९४३, किताब अल-इकराह) तात्पर्य नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों के अन्दर साहस और स्थाइत्व तथा शौर्य पैदा करना था ।

[1]इसलिए कि «كُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ». (हर आने वाली वस्तु निकट है) और ईमानवालों के लिए अल्लाह की स्थाई आवश्यक है, इसलिए वह निकट ही है ।

[2]कुछ सहाबा के प्रश्न करने पर धन व्यय करने के लिए उसके प्राथमिक पात्रों का वर्णन किया जा रहा है । अर्थात यह सबसे अधिक तुम्हारे धनरुपी सहायता के अधिकारी हैं । इससे ज्ञात हुआ कि माल का यह आदेश स्वेच्छात्मक दान से सम्बन्धित है, ज़कात से सम्बन्धित नहीं । क्योंकि माता-पिता पर ज़कात का धन ख़र्च करना उचित नहीं । आदरणीय मैमून बिन मेहरान ने इस आयत की तिलावत (क़ुरआन पढ़ना) करके फ़रमाया माल ख़र्च करने के इन स्थानों पर न तबला-सांरगी का वर्णन है और न सुन्दर चित्रों और दीवारों पर लटकाये जाने वाले मनमोहक पर्दों का वर्णन है । भावार्थ यह है कि इन चीजों पर माल ख़र्च करना अल्लाह को पसन्द नहीं है और व्यर्थ है । अफ़सोस है कि आज यह व्यर्थ के ख़र्च और अल्लाह को न पसन्द आने वाले ख़र्च हमारे जीवन के इस प्रकार एक आवश्यक अंग बन गये हैं, कि इसके करने में हमें तनिक भी बुरा नहीं लगता ।

(२१६) तुम पर धर्म युद्ध (जिहाद) अनिवार्य किया गया, यद्यपि कि वह तुम्हारे लिए कठिन प्रतीत होता हो, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरी जानो, और वास्तव में वही तुम्हारे लिए भली हो और यह भी हो सकता है कि तुम जिस चीज़ को अच्छी समझो, और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। वास्तविक ज्ञान अल्लाह ही को है, तुम मात्र अनजान हो।[1]

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

(२१७) लोग आप से हुरमत वाले (आदरणीय) महीनों में युद्ध के विषय में प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए उनमें युद्ध करना महा पाप है। परन्तु अल्लाह के मार्ग से रोकना, उनके साथ कुफ़्र करना और मस्जिद-ए-हराम से रोकना, एवं वहाँ के निवासियों को वहाँ से निकालना अल्लाह के निकट उससे भी बड़ा पाप है और फ़ित्ना (उपद्रव) हत्या से भी बड़ा पाप है।[2] यह लोग तुमसे लड़ाई-झगड़ा करते

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن

---

[1]धर्म युद्ध (जिहाद) के आदेश कोएक उदाहरण बनाकर ईमानवालों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह तआला के प्रत्येक आदेशानुसार कर्म करो, चाहे तुम्हें कठिन लगे और अच्छा न लगे इसलिए कि उसके परिणाम और फल को तुम नहीं जानते, केवल अल्लाह तआला ही जानता है। हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए अच्छाई हो। जैसे धर्मयुद्ध (जिहाद) के बदले में तुम्हें विजय या सम्मान और माल आदि सब मिल सकता है। इसी प्रकार जिसे तुम पसन्द करो धर्मयुद्ध के बदले घर बैठे रहना, उसका परिणाम तुम्हारे लिए भयानक हो सकता है, अर्थात शत्रु की तुम पर विजय प्राप्त हो जाये और तुम्हें अपमान एवं अनादर का सामना करना पड़े।

[2]रजब, ज़ुलक़ादा, जिलहिज्जा, और मोहर्रम, यह चार महीने अज्ञान काल में भी आदरणीय महींने माने जाते थे, जिनमे हत्या और युद्ध करना अच्छा नहीं समझा जाता था। इस्लाम ने भी इनके आदर को उसी प्रकार रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में मुसलमान सैनिक दस्ते के हाथों रजब के महीने में एक काफ़िर की हत्या हो गयी और कुछ

دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

ही रहेगें, यहाँ तक की यदि उनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से फेर दें।[1] और तुममें से जो लोग अपने धर्म से पलट जायें और उसी अधर्म की स्थिति में मरें, उनके कर्मलोक एवं परलोक के कर्म सभी नष्ट हो गये। यह लोग नरकवासी होंगे और नित्य नरक में ही रहेंगे।[2]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

(२१८) हाँ जिन्होंने विश्वास किया तथा प्रवास किये एवं अल्लाह के मार्ग में जिहाद किया (धर्म की रक्षा के लिए अल्लाह के मार्ग में लड़े)

काफ़िर बन्दी बना लिए गये। मुसलमानों को यह नहीं मालूम था कि रजब का महीना प्रारम्भ हो गया है। काफ़िरों ने मुसलमानो को दोष दिया कि देखो यह आदरणीय महीनों का भी आदर नहीं करते, जिस पर यह आयत उतरी कि निःसन्देह सम्मानित महीनों में हत्या करना महापाप है, परन्तु आदर की दुहाई देने वालों को अपने कर्म नहीं दिखाई देते ? यह स्वंय उससे भी बड़ा अपराध करते है कि अल्लाह के मार्ग से तथा मस्जिद-ए-हराम (खाना-ए-काअबा) से लोगों को रोकते हैं और वहाँ से मुसलमानों को निकलने पर उन्होंने वाध्य किया। इसके अतिरिक्त अधर्म और शिर्क स्वयं हत्या से भी बड़ा पाप है। इसलिए मुसलमानो से ग़लती से आदर वाले महीनों में एक-आध हत्या हो भी गयी, तो क्या हुआ ? उस पर कोलाहल के बजाय अपने कुकर्मों को भी देख लेना चाहिए।

[1]जब यह अपनी चालों और षड़यंत्रों और तुम्हें मुर्तद्द (इस्लाम धर्म से फिरने वाला) बनाने के प्रयत्न से रुकने वाले नहीं, तो फिर तुम उनसे सामना करने में आदरणीय महीने के कारण क्यों रुके रहो ?

[2]जो इस्लाम धर्म से पलट जाये अर्थात मुर्तद्द हो जाये (यदि वह क्षमा न माँगे) तो उसका सांसारिक दण्ड हत्या है हदीस में है «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (सहीह बुखारी हदीस ३०१७, किताबुल जिहाद) इस आयत में उसके परलोक के दण्डों का वर्णन है। जिससे ज्ञात हुआ कि ईमान की स्थिति में किये पुण्य के कर्म भी अविश्वास और इस्लाम से पलटने पर नष्ट हो जायेंगे और जिस प्रकार से ईमान स्वीकार कर लेने में पिछले पाप समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार अधर्म और इस्लाम से पलटने की स्थिति में सारे पुण्य निष्फल हो जाते हैं। फिर भी क़ुरआन के शब्दों से यह स्पष्ट होता है कि कर्मों को नष्ट उसी समय किया जायेगा जब मृत्यु कुफ्र की स्थिति में हो, यदि मृत्यु से पहले क्षमा माँग ली तो ऐसा न होगा, अर्थात मुर्तद्द की क्षमा स्वीकार्य है।

أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

वही अल्लाह की दया की आशा रखते हैं। और अल्लाह (तआला) अति क्षमाशील एवं अति कृपालु है।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

(२१९) लोग आपसे मदिरा और जुआ के विषय में प्रश्न करते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में महापाप है।[1] और लोगों को इससे सांसारिक लाभ भी होता है, परन्तु उनका पाप उनके लाभ से कहीं अधिक है।[2] आप से यह भी पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें, आप कह दीजिए आवश्यकता से अधिक को।[3] अल्लाह (तआला)

---

[1] महापाप तो धर्मानुसार है।

[2]लाभ का सम्बन्ध दुनिया से है। जैसे शराब पीने से सामायिक रुप से स्फूर्ति और कुछ बुद्धियों में तीव्रता आ जाती है, काम वेग बढ़ जाता है। जिसके लिए इसका प्रयोग सामान्य रुप से होता है। इसी प्रकार इसका क्रय-विक्रय भी लाभप्रद व्यापार है। जुए से भी कुछ आदमी एक-आध बार जीत जाता है और कुछ माल उसके हाथ लग जाता है, लेकिन यह लाभ उन हानियों के अपेक्ष कोई गणना नहीं रखते, जो व्यक्ति की वुद्धि और उसके धर्म को इनसे पंहुचते हैं। इसीलिए फ़रमाया, "उनका पाप उनके लाभ से बहुत बड़ा है।" इस प्रकार इस आयत में शराब और जुए को निषेध नहीं किया गया, फिर भी इसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की गयी है। इस आयत से यह भी ज्ञात हुआ कि हर चीज में चाहे कितनी बुराई क्यों न हो कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। जैसे रेडियो टी० वी० और अन्य इसी प्रकार के आधुनिक अविष्कारों के कुछ लाभ बताकर लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देखना यह है कि लाभ-हानि का अनुपात क्या है ? विशेष रुप से धर्म, ईमान, स्वभाव एवं चरित्र के लिए यदि धार्मिक हानियाँ अधिक हैं, तो थोड़े से सांसारिक लाभ के लिए उसे उचित सिद्ध नही किया जा सकता।

[3]इस अर्थ के अनुसार यह नैतिक मार्ग दर्शन है अथवा यह आदेश इस्लाम के प्रारम्भिक समय में दिया गया है, जिस पर जकात के अनिवार्य होने के पश्चात कर्म करना आवश्यक नहीं रहा, लेकिन श्रेष्ठ अवश्य है अथवा इसके अर्थ हैं ما سهل وتيسّر ولم يشق على القلب (फ़तहुल क़दीर) "जो सरलता एवं आसानी से हो जाये और दिल पर बोझ न लगे।" इस्लाम धर्म ने निःसन्देह धन दान करने पर बल दिया है परन्तु इसमें यह ध्यान रहे कि अपने संरक्षण में रहने वाले लोगों की आवश्यकता एवं संरक्षण में किसी प्रकार की कमी न आये तथा

इसी तरह अपने आदेश स्पष्ट रुप से तुम्हारे लिए वर्णित कर रहा है । कि तुम सोच समझ सको ।

(२२०) सांसारिक और धार्मिक कर्मों को, और आप से अनाथों के विषय में भी प्रश्न करते हैं[1] आप कह दीजिए कि उनकी भलाई करना ही अच्छा है, तुम यदि अपने माल उनके माल में मिला भी लो तो वह तुम्हारे भाई हैं, कुविचार और सुविचार प्रत्येक को अल्लाह पूर्ण रुप से जानता है, और यदि अल्लाह चाहता तो तुम्हे कठिनाई में डाल देता ।[2] नि:सन्देह अल्लाह (तआ़ला) सर्वशक्तिशाली एवं विधाता है ।

فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ؕ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ؕ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

(२२१) और मुशरिक (बहुदेववादी) स्त्रियों से उस समय तक विवाह न करो जब तक कि वह ईमान न ले आयें ।[3] ईमानवाली लौंडी

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ

उनको प्राथमिकता देने का आदेश आया है । दूसरे इस प्रकार खर्च करने से रोका गया है कि कल तुम्हारे परिवार वालों को दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़े ।

[1]जब अनाथों के माल अत्याचार करके खाने वालों के लिए कठोर दण्ड का आदेश आया, तो सहाबा डर गये और अनाथों की हर चीज़ अलग कर दी, यहाँ तक की खाना-पीना अलग कर दिया, यदि उनके खाने-पीने की चीज़ बच जाती, तो उसको उपयोग में न लाते, जिससे वह चीज़ ख़राब हो जाती, इस भय से कि कहीं इस दण्ड के अधिकारी न बना दिये जायें, इस पर यह आयत उतरी । (इब्ने कसीर)

[2]अर्थात त्रुटि दूर करने तथा अच्छाई के लिए भी, उनके माल को अपने माल में मिलाने की आज्ञा नहीं प्रदान करता ।

[3]मुशरिक स्त्रियों से तात्पर्य मूर्तिपूजक अथवा बहुदेववादी स्त्रियाँ हैं, क्योंकि किताब वालों (यहूदी और ईसाई) स्त्रियों से विवाह करने की आज्ञा क़ुरआन ने प्रदान की है, परन्तु किसी मुसलमान स्त्री का विवाह अहले किताब पुरुषों से नहीं हो सकता । फिर भी आदरणीय उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कारण वश यहूदी ईसाई स्त्रियों से विवाह करना अच्छा नही समझा

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ښ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ㉑

(दासी) भी मुशरिक (बहुदेववादी) स्वतंत्र स्त्री से श्रेष्ठ है, यद्यपि की तुम्हें मुशरिक (बहुदेववादी) ही अच्छी लगती हो और न मुशरिक (बहुदेववादी) पुरुषों को अपनी स्त्रियों से विवाह करने दो, जब तक की वह ईमान न ले आयें। ईमानदार गुलाम (मुसलमान दास) स्वतन्त्र मुशरिक (बहुदेववादी) से श्रेष्ठकर है, यद्यपि की तुम्हें मुशरिक (बहुदेववादी) अच्छा लगे। ये लोग नरक की ओर बुलाते हैं और अल्लाह स्वर्ग की ओर और मोक्ष की ओर अपने आदेश से बुलाता है, वह अपनी निशानियाँ लोगों के लिए वर्णित कर रहा है, ताकि वह शिक्षा प्राप्त करें।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ

(२२२) और आपसे मासिक धर्म के विषय में प्रश्न करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, मासिक धर्म के समय स्त्रियों से अलग रहो[1]

है। (इब्ने कसीर) इस आयत में ईमानवालों को ईमानदार स्त्री-पुरुष में विवाह करने पर बल दिया गया है। और धर्म को किनारे रख केवल सुन्दरता के कारण विवाह करने को परलोक के विनाशता का कारण बताया है। जिस प्रकार हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, "स्त्री से चार कारणों से विवाह किया जाता है। माल, जाति, सुन्दरता अथवा धर्म के कारण से, तुम धार्मिक स्त्री का चयन करो।" (सहीह बुख़ारी, किताबुन निकाह, बाबुलकफ़ाअ फ़िद-दीन तथा मुस्लिम किताबुल रिदाआ) इसी प्रकार सुशील स्त्री को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दौलत कहा है। «خَيرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (सहीह मुस्लिम, किताबुल रिदाआ।

[1]अपने यौवन पर पहुँचने पर प्रत्येक स्त्री को जो मासिक धर्म का रक्त आता है, उसे हैज़ कहते हैं और कई बार अप्राकृतिक रुप से रोग के कारण जो रक्त आता है, उसे इस्तेहाज़ा कहते हैं, जिसका आदेश व नियम हैज़ से भिन्न है। हैज़ के दिनो में स्त्री को नमाज माफ है, और रोजा रखने से रोका गया है, परन्तु उनके बदले दूसरे दिनो में रखना अनिवार्य है। पुरुष के लिए केवल सम्भोग प्रक्रिया से रोका गया है, परन्तु चुम्बन अथवा साथ लेटने को उचित कहा गया है। इसी प्रकार स्त्री इन दिनों में घर का कार्य एवं खाना पका

فِي الْمَحِيضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

और जब तक वह पवित्र न हो जायें उनके निकट न जाओ, हाँ जब वह पवित्र हो जायें,[1] तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें आज्ञा प्रदान की है [2] अल्लाह क्षमा माँगने वाले को पवित्र रहने वाले को पसंद करता है।

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ

(२२३) तुम्हारी पत्नियाँ तुम्हारी खेतियाँ है, अपनी खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ।[3]

सकती है, परन्तु यहूदियों में इस स्थिति में स्त्री को बिलकुल अपवित्र समझा जाता था। उसके साथ मिलना तथा खाना पकाना भी ठीक नहीं समझते थे। सहाबा ने इसके विषय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आयत उतरी, जिसमें मात्र यौनि प्रक्रिया से रोका गया है, अलग रहने तथा निकट न जाने का अर्थ मात्र यौनि प्रक्रिया से मना किया गया है। (इब्ने कसीर आदि)

[1]जब वह पवित्र हो जायें। इसके दो अर्थ बताये गये हैं, एक तो यह है कि जब रक्त रुक जाये, तो बिना स्नान किये भी वे पवित्र हैं। पुरुष के लिए उनसे यौनि सम्बन्ध करना उचित है। इब्ने हज़्म तथा कुछ इमाम इसके पक्ष में है। अल्लामा अलबानी ने भी इसकी पुष्टि की है। (आदाबु ज़्ज़ेफाफ पृ० ४७) दूसरे अर्थ हैं, रक्त बंद होने के पश्चात स्नान करके पवित्र हो जायें, इस दूसरे अर्थ के अनुसार रक्त बंद होने के पश्चात स्त्री स्नान करके पवित्र न हो जाये, तब तक उससे सम्भोग हराम है। ईमाम शौकानी ने इसे श्रेष्ठ बताया है। (फ़तहुल क़दीर) हमारे निकट दोनों ही नियामानुसार कर्म किये जा सकते हैं परन्तु दूसरा श्रेष्ठ है।

[2]जहाँ से आज्ञा प्रदान की है। अर्थात यौनियों से क्योंकि हैज के समय इन्ही के प्रयोग से रोका गया था, और अब पवित्र होने के पश्चात जो आज्ञा प्रदान की जा रही है, तो इसका अर्थ है उसी (यौनि) की आज्ञा है, न कि किसी अन्य भाग अथवा अंग से। इससे यह भावार्थ निकाला गया कि स्त्री के मलद्वार का प्रयोग हराम है, जैसाकि हदीसों में इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी है।

[3]यहूदियों का विचार था कि यदि स्त्री को पेट के बल लिटाकर उनके पीछे से सम्भोग किया जाये, तो बच्चा भिंगा जन्म लेगा। इसके खण्डन में कहा जा रहा है कि सम्भोग आगे से करो (चित लेटाकर) अथवा पीछे से (पेट के बल लिटाकर) अथवा करवट से, जिस प्रकार चाहो उचित है, परन्तु यह आवश्यक है कि प्रत्येक स्थिति में स्त्री की यौनि का ही प्रयोग हो। कुछ लोग इससे यह अर्थ लेते हैं (जिस प्रकार चाहो) में मलद्वार भी आ जाता है, इसलिए मलद्वार का प्रयोग भी उचित है, परन्तु यह बिलकुल ग़लत है। जब

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

और अपने लिए (पुण्य) आगे भेजो, और अल्लाह (तआला) से डरते रहो, और जान रखो, कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमानवालों को शुभ सन्देश सुना दीजिए।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

(२२४) और अल्लाह (तआला) को अपनी शपथों का (इस प्रकार) चिन्ह न वनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के मध्य त्रुटियों को दूर करने को छोड़ बैठो।[1] और अल्लाह (तआला) सुनने वाला जानने वाला है।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

(२२५) अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी उन शपथों पर न पकड़ेगा, जो दृढ़ न हों।[2] हाँ तुम्हारी पकड़ उस चीज पर है, जो तुम्हारे दिलों का कर्म है, अल्लाह (तआला) क्षमा करने वाला साहिष्णु है।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ

(२२६) जो लोग अपनी पत्नियों से (न मिलने की) शपथ खायें उनके लिए चार महीने की

क़ुरआन में स्त्री को खेती कहा है, तो इसका स्पष्ट यह अर्थ है कि केवल खेती के प्रयोग के लिए कहा जा रहा है कि "अपनी खेतियों में जिस प्रकार चाहो आओ।" और यह खेती (वच्चा पैदा होने का मार्ग) केवल स्त्री की यौनि है न कि उसका मलद्वार। अन्तत: यह एक अप्राकृतिक यौनि सम्बन्ध है, ऐसे व्यक्ति को जो अपनी पत्नी के साथ गुदा मैथुन करे। उसको (मलऊन) बुरा कहा जाने वाला व्यक्ति कहा गया है। (इब्ने कसीर व फ़तहुल क़दीर)।

[1]अर्थात क्रोध में ऐसी शपथ मत उठाओ कि मैं अमुक व्यक्ति के ऊपर उपकार नहीं करूंगा, अमुक व्यक्ति से नहीं वोलूंगा, अमुक व्यक्ति के मध्य सन्धि नहीं कराऊंगा। इस प्रकार की शपथों के विषय में हदीस शरीफ़ में आया है कि यदि इस प्रकार की शपथ खा भी लो, तो उसे तोड़ दो, और शपथ का कफ़्फ़ार: (शपथ खाने के वाद यदि तोड़ दी जाये, तो उसका दण्ड) अदा करो। (शपथ के कफ़्फ़ारे के लिए देखिए सूर: अल-मायद:, आयत ८९)

[2]अर्थात जो विना सोचे समझे और आदत के तौर पर हो, परन्तु जान बूझकर शपथ खाना महापाप है।

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

अवधि है ।[1] फिर यदि वह लौट आयें, तो अल्लाह (तआला) क्षमावान कृपालु है ।

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(२२७) और यदि तलाक़ का प्रयत्न कर ले तो अल्लाह (तआला) अति सुनने वाला जानने वाला है ।[2]

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ

(२२८) तलाक़ प्राप्त स्त्रियाँ अपने आपको तीन मासिक धर्म तक रोके रखें ।[3] उनके लिये उचित नहीं कि अल्लाह ने उनके गर्भाशय में

---

[1] إيلاء का अर्थ शपथ खाने के हैं यदि कोई पति शपथ खा ले कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक माह अथवा दो माह (उदाहरणत:) सम्बन्ध नहीं रखूंगा। फिर शपथ की अवधि पूरी करके कोई सम्बन्ध स्थापित करता है, तो कोई दण्ड नहीं है, और यदि शपथ की अवधि पूरी होने के पूर्व सम्बन्ध स्थापित कर ले तो शपथ तोड़ने का दण्ड अदा करना होगा। और यदि चार माह की अवधि से अधिक अथवा बिना अवधि के शपथ खायी गयी है, तो उनके लिए इस आयत में अवधि निर्धारित कर दी गयी है, कि वह चार माह पश्चात यदि चाहे तो सम्बन्ध स्थापित कर ले अथवा उन्हें तलाक दे दे (उसे चार माह से अधिक लटकाये रहने की आज्ञा नहीं है) पहली स्थिती में उसे शपथ तोड़ने का दण्ड भुगतना पड़ेगा और यदि दोनों में से कोई स्थिति नहीं अपनायेगा, तो न्यायालय उसको दोनों में से किसी एक को अपनाने पर प्रतिबन्ध करेगा कि वह उससे सम्बन्ध स्थापित कर ले अथवा तलाक़ दे दे ताकि उस स्त्री पर अत्याचार न हो। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

[2] इन शब्दों से प्रतीत होता है कि चार माह व्यतीत होते ही स्वयं तलाक नहीं हो जाती है। (जैसा कि कुछ विद्वानों के नियम में है), बल्कि पति के तलाक़ देने पर तलाक़ होगी, जिस पर उसे न्यायालय भी बाध्य करेगा। जैसाकि प्राय: विद्वानो का मत है। (इब्ने कसीर)

[3] इससे तात्पर्य वह तलाक़ प्राप्त स्त्री है जो गर्भवती भी न हो (क्योंकि गर्भवती स्त्री के लिए प्रसव की अवधि निर्धारित है) जिसे समागम से पहले ही तलाक हो गयी हो वह भी न हो (क्योंकि उसकी कोई इद्दत ही नहीं है) बूढ़ी भी न हो जिसको मासिक धर्म आना वंद हो गया हो (क्योंकि उनकी इद्दत तीन माह है) अर्थात इस आयत में उपरोक्त वर्णित स्त्रियों के अतिरिक्त समागम प्राप्त स्त्रियों की इद्दत वर्णित की जा रही है। और वह तीन मासिक धर्म के हैं। इसका अर्थ यह है कि तीन मासिक धर्म व्यतीत हो जाने के उपरान्त उन्हें अपना विवाह दूसरी जगह करने का अधिकार है। (इब्ने कसीर व फ़तहुल क़दीर)

जो पैदा किया हो उसे छिपायें ।[1] यदि उन्हें अल्लाह (तआला) पर और प्रलय के दिन पर ईमान हो । उनके पति को इस अवधि में उन्हें लौटा लेने का पूर्ण अधिकार हैं, यदि उनका विचार सुधार का हो ।[2] स्त्रियों के भी वैसे ही अधिकार हैं, जैसे उन पर पुरुषों के हैं अच्छाई के साथ ।[3] हाँ, पुरुषों की स्त्रियों पर श्रेष्ठता है, और अल्लाह (तआला) सर्वोच्च, एवं विधाता है ।	أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾
(२२९) ये तलाक़ दो बार हैं [4] फिर या तो	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ

[1]इससे मासिक धर्म एवं गर्भ दोनों तात्पर्य हैं । मासिक धर्म न छिपायें, जैसे कि कहे कि मुझे तलाक के बाद एक अथवा दो बार मासिक हुआ है, जबकि उसे तीन मासिक धर्म हो चुके हों, (उसका उद्देश्य पहले पति से सम्बन्ध स्थापित करना हो, यदि वह सम्बन्ध स्थापित करना चाहता हो) अथवा सम्बन्ध स्थापित न करना चाहती हो, तो कह दे कि मुझे तीन मासिक धर्म हो चुके हैं, जबकि वास्तव में ऐसा न हुआ हो, ताकि पति का सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार सिद्ध न हो सके । इसी प्रकार गर्भ को न छिपायें क्योंकि इस प्रकार दूसरे स्थान पर विवाह करने की दशा में उसके वंश में मिश्रण होगा । वीर्य वह पहले पति का होग़ा और सम्बन्धित दूसरे पति से हो जायेगा । यह अति महापाप है ।

[2]सम्बन्ध स्थापित करने से पति का उद्देश्य यदि परेशान करना न हो, तो पति को इद्दत के अन्दर सम्बन्ध स्थापित करने का पूरा अधिकार है । स्त्री के संरक्षक को इसमें रुकावट डालने की कोई अनुमति नहीं है ।

[3]अर्थात दोनों के अधिकार एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको पूरा करने के दोनों धार्मिक नियमों से प्रतिबन्धित है । परन्तु पुरुष को स्त्री पर श्रेष्ठता प्राकृतिक शक्ति में, जिहाद (धर्मयुद्ध) की आज्ञा में, जायदाद के बंटवारे में स्त्री से दुगना पुरुष को, जाति एवं अधिकार में, तलाक-एवं सम्बन्ध स्थापित करने के अधिकार (आदि) में प्राप्त हैं ।

[4]अर्थात वह तलाक़ जिसमें पति को प्रत्यागमन का अधिकार है, वह दो बार है । पहली बार तलाक़ के बाद भी और दूसरी बार तलाक़ के बाद भी पति अपनी पत्नी से सम्बन्ध पुनः स्थापित कर सकता है । तीसरी बार तलाक़ देने के बाद यह सम्बन्ध स्थापित करने

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

अच्छाई से रोकना ।[1] अथवा उचित रुप से छोड़ देना है ।[2] और तुम्हें उचित नहीं कि तुमने उन्हें जो दिया है, उसमें से कुछ भी लो, हाँ, यह और बात है कि दोनों को अल्लाह की सीमायें स्थापित न रखने का भय हो, इसलिए यदि तुम्हें भय हो कि यह दोनों अल्लाह की सीमायें स्थापित न रख सकेंगे, तो स्त्री स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए कुछ दे डाले, इसमें दोनो पर कोई पाप नहीं[3] यह अल्लाह

का अधिकार नहीं । अनाज्ञा काल में यह तलाक़ और सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार असीमित था, जिससे स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, पति बार-बार तलाक़ देकर सम्वन्ध स्थापित करता था, इस प्रकार न वह रखता था और न स्वतन्त्र करता था। अल्लाह तआला ने इस अत्याचार का द्वार बन्द कर दिया। पहली और दूसरी बार सोचने विचारने का समय दिया जाता है। यदि पहली बार में सदैव के लिए अलग कर दिया जाता, तो समाज में इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता । इसके अतिरिक्त अल्लाह तआला ने طلقتان (दो तलाक़) नहीं कहा, बल्कि फ़रमाया । ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ﴾ (तलाक़ दो बार), इससे यह अर्थ निकला कि एक समय में दो अथवा तीन तलाकें देना और उन्हे उसी समय लागू कर देना अल्लाह तआला के आदेश के विपरीत है । अल्लाह तआला का विवेक इस प्रकार का न्याय करता है कि एक बार के तलाक़ के बाद (चाहे एक हो या कई एक) और इस प्रकार दूसरी बार तलाक के बाद (चाहे एक हो अथवा कई एक) पुरुष को सोचने-समझने और शीघ्रता अथवा क्रोध में किये गये कार्य को ठीक करने का समय दिया जाये। यह तर्क एक बैठक में तीन तलाकों को एक तलाक़ मानना ही उचित सिद्ध करता है, न कि तीनों को एक ही समय में लागू करके सोचने और अपनी ग़लतियों को सुधारने की छूट से वंचित कर देने की दशा में।

[1]अर्थात सम्बन्ध स्थापति करके उसे अच्छी प्रकार से बसाना।

[2]अर्थात तीसरी बार तलाक़ देकर ।

[3]इसमें "खुलअ" का वर्णन है, जिसके अनुसार पत्नी अपने पति से सम्बन्ध विच्छेद करना चाहे तो उस स्थिति में पति को अधिकार है कि वह अपना महर वापस ले ले। पति यदि सम्वन्ध विच्छेद न स्वीकार करे, तो न्यायालय पति को तलाक़ देने का आदेश करेगी, यदि वह उसे न माने तो न्यायालय विवाह समाप्त करेगी । अर्थात यह खुलअ, तलाक़ द्वारा भी हो सकता है और विच्छेद द्वारा भी दोनो स्थितियों में इद्दत एक मासिक धर्म है। (अबूदाऊद

هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٢٩﴾

की सीमायें हैं, सावधान। इनसे आगे न बढ़ना और जो लोग अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन कर जायें, वह अत्याचारी हैं।

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۭ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٠﴾

(२३०) फिर यदि उसको (तीसरी बार) तलाक़ दे दे, तो अब वह उसके लिए वैध नहीं जब तक कि वह स्त्री उसके अतिरिक्त दूसरे से विवाह न करे, फिर यदि वह तलाक दे दे, तोउन दोनों को मेलजोल कर लेने में कोई पाप नहीं।[1] जबकि वे जान लें कि अल्लाह की सीमाओं को स्थापित रख सकेंगे, यह अल्लाह (तआला) की सीमायें है, जिन्हें वह जानने वाले के लिए वर्णित कर रहा है।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاۗءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْھُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْھُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۠ وَلَا تُمْسِكُوْھُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ

(२३१) और जब तुम स्त्रियों को तलाक़ दो और वह अपनी इद्दत (तीमासिक धर्म की अवधि को कहते हैं) समाप्त करने के निकट हों, तोअब उन्हें अच्छी प्रकार से बसाओ अथवा

त्रिमिज़ी, नसाई व अल-हाकिम, फ़तहुल क़दीर) पत्नी को यह अधिकार देने के साथ-साथ उसे इस वात पर विशेष वल दिया गया है कि पत्नी बिना किसी विशेष कारण के पति से सम्वन्ध विच्छेद अर्थात तलाक़ की माँग न करे। यदि ऐसा करेगी, तोनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी स्त्रियों के विषय में कठोर दण्ड की सूचना दी है कि वह स्वर्ग की सुगन्ध तक न पा सकेगी। (इब्ने कसीर आदि)

[1]इस तलाक़ से तात्पर्य तीसरी तलाक़ है और इसके बाद पति को न तो सम्बन्ध स्थापित करने का अधिकार है और न विवाह करने का। अब यह स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करे और वह अपनी इच्छा से तलाक़ दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाये, तो उसके बाद वह अपने पहले पति से विवाह कर सकती है। परन्तु हमारे देश में जो इस प्रकार का "हलाला" करने और कराने की कुप्रथा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे "हलाला" करने और कराने वाले पर धिक्कार की है। हलाला के कारण किया गया विवाह, विवाह नहीं होता, यह व्यभिचार है। इस विवाह से स्त्री अपने पति के लिए वैध नहीं होगी।

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۭ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۡ وَّاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٣١﴾

भलाई के साथ अलग कर दो ।[1] और उन्हें यातना पहुँचाने के उद्देश्य से अत्याचार व निर्दयता करने के लिए न रोको । जो व्यक्ति ऐसा करे, उसने अपनी आत्मा पर अत्याचार किया । तुम अल्लाह के आदेशों का उपहास न बनाओ ।[2] और अल्लाह का उपकार जो तुम पर है याद करो और जो कुछ किताब व विद्या उसने उतारी है, जिससे तुम्हें शिक्षा दे रहा है, उसे भी । और अल्लाह (तआला) से डरते रहा करो और याद रखो कि अल्लाह (तआला) प्रत्येक वस्तु को जानता है ।

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ ذٰلِكَ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ

(२३२) और जब तुम अपनी स्त्रियों को तलाक़ दो और वह अपनी इद्दत पूरी कर लें, तो उन्हें उनके पतियों से विवाह करने से न रोको, जबकि वह आपस में नियमानुसार सहमत हो ।[3] यह शिक्षा उन्हें दी जाती है, जिन्हें तुममें

---

[1] ﴿ اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ﴾ में वताया गया था कि दो तलाक़ तक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है । इस आयत में वताया जा रहा है कि सम्बन्ध स्थापित इद्दत के भीतर हो सकता है, इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद नही । इसलिए यह पुनरावृति नहीं है, जिस प्रकार से स्पष्ट प्रतीत होती है ।

[2] कुछ लोग मज़ाक़ में तलाक़ दे देते अथवा विवाह कर लेते अथवा स्वतन्त्र कर देते । फिर कहते कि मैंने तो मज़ाक़ किया था । अल्लाह तआला ने इसे अपनी आयत में उपहास कहा है जिसका उद्देश्य इस प्रकार के कर्मों से रोकना है । इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उपहास से भी यदि उपरोक्त वर्णित कार्य करेगा तो वह वास्तविक माना जायेगा । और मज़ाक़ का तलाक़, विवाह एंव स्वतन्त्रता लागू हो जायेगी । (तफ़सीर इब्ने कसीर)

[3] इसमें तलाक़ प्राप्त स्त्री के विषय में एक तीसरा आदेश दिया जा रहा है । वह यह कि यदि इद्दत समाप्त होने के पश्चात (पहली अथवा दूसरी तलाक़ के बाद) यदि भूतपूर्व पति-पत्नी अपनी सहमती से पुन: निकाह करें, तो तुम उनको न रोको । नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

से अल्लाह (तआला) पर और प्रलय के दिन पर विश्वास एवं ईमान हो, इसमें तुम्हारी अच्छी स्वच्छता एवं पवित्रता है। और अल्लाह (तआला) जानता है, तुम नहीं जानते।

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

(२३३) माताऐं अपनी सन्तानों को पूरे दो वर्ष दूध पिलायें, जिनका विचार दूध पिलाने की पूरी अवधि का हो।[1] और जिनकी सन्तान हैं उनका कर्तव्य है उनको रोटी कपड़ा दे, जो नियमानुसार हो।[2] प्रत्येक व्यक्ति को इतनी

के समय में एक ऐसी घटना घटी और स्त्री के भाई ने मना कर दिया, तो यह आयत उतरी (सहीह बुख़ारी) एक तो इससे यह ज्ञात हुआ कि स्त्री अपना विवाह स्वयं नहीं कर सकती, वल्कि उसके संरक्षक की आज्ञा तथा सहमति विवाह के लिए आवश्यक है तभी तो अल्लाह तआला ने संरक्षकों को अपने संरक्षण के अधिकार के अनुचित प्रयोग से रोका है। इसकी और पुष्टि हदीस नववी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है لا نكاح إلاّ بولّيٍ (संरक्षक की आज्ञा के विना विवाह नही) (अन-निसाई) दूसरी बात यह ज्ञात हुई कि स्त्री के संरक्षकों को भी स्त्री पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं है। बल्कि उनके लिए आवश्यक है कि वह स्त्री की सहमत की भी अवश्य आदर करें।

[1]इस आयत में दूध पिलाने की समस्या के समाधान का वर्णन है। इसमें सर्वप्रथम बात कही गयी है। वह यह है कि जो पूर्ण अवधि तक दूध पिलाना चाहे, तो यह अवधि दो वर्ष की है। इन शब्दों से इससे कम अवधि तक दूध पिलाने का प्रविधान निकलता है। दूसरी बात यह कि दूध पिलाने की अधिक से अधिक अवधि दो वर्ष है। जैसाकि त्रिमज़ी में उम्मे सलमा के द्वारा वर्णित कथन है«لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»(त्रिमज़ी, कितावुल रिज़ाआ) वही रिज़ाआ (दूध पिलाना) पवित्रता (हुरमत) सिद्ध करता है, जो छाती से निकलकर आँतो को फाड़े यह दूध छुड़ाने (की अवधि) से पहले हो। अत: यदि कोई वच्चा किसी औरत का इस प्रकार से दूध पीयेगा, जिससे दूध पिलाना सिद्ध होता है, तो उनके मध्य दूध का सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा, जिसके बाद दूध पिये हुए भाई वहनों में विवाह उसी प्रकार नहीं हो सकता, जिस प्रकार से सगे भाई-बहनो में वर्जित है। «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». (सहीह बुख़ारी, किताबुश शहदात) दूध पीने से भी वह सम्बन्ध निषेध हो जायेगे, जो वंश से अवैध होते है।

[2] مولودلـه से तात्पर्य पिता है। तलाक़ होने के पश्चात नवजात शिशु और उसकी माँ के भरण-पोषण की समस्या हमारे समाज में जटिल होती जा रही है, इसका कारण धार्मिक

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

ही कठिनाई दी जाती है, जितनी उसकी शक्ति हो। माता को उसकी सन्तान के कारण, अथवा पिता को उसकी सन्तान के कारण उसे कोई हानि नहीं पहुँचाई जाये।[1] उत्तराधिकारी पर भी उसी जैसा कर्तव्य है।[2] फिर यदि दोनों (अर्थात माता-पिता) अपनी सहमति एवं आपसी विचार से दूध छुड़ाना चाहें, तोदोनों पर कोई पाप नहीं, और यदि तुम अपनी सन्तानों को दूध पिलाना चाहते हो, तो भी तुम पर कोई पाप नहीं, जबकि तुम उनके सांसारिक नियम के अनुसार उनको दे दो।[3] अल्लाह तआला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह (तआला) तुम्हारे कर्मों को देख रहा है।

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ

(२३४) तुम में से जो लोग मर जायें, और पत्नियां छोड़ जायें, वह स्त्रियां अपने आपको

नियमों का अवहेलना है। यदि अल्लाह के आदेशनुसार पति अपनी यथासंभव तलाक़ दी हुई स्त्री के रोटी-कपड़े का उत्तरदायी हो, जिस प्रकार से इस आयत में कहा जा रहा है, तो अति सरलता से समस्या का समाधान हो जाता है।

[1]माता को कष्ट पहुँचाने का तात्पर्य यह है कि जैसे माता अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहे, परन्तु ममता को ठुकराकर उसका बच्चा उससे बलपूर्वक छीन लिया जाये। अथवा यह कि बिना ख़र्च की जिम्मेदारी लिए उसको दूध पिलाने पर मजबूर किया जाये। पिता को कष्ट पहुँचाने से तात्पर्य यह है कि माता दूध पिलाने से इंकार कर दे अथवा उसकी शक्ति से अधिक उससे धन की माँग करे।

[2]पिता की मृत्यु के पश्चात ऐसी स्थिति में यह कर्तव्य उत्तराधिकारियों का है कि वह बच्चे की माता के अधिकार उचित रुप से अदा करें, ताकि न तो स्त्री को कष्ट हो ओर न बच्चे के पालन-पोषण पर प्रभाव पड़े।

[3]यह माता के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री से दूध पिलाने की आज्ञा है। परन्तु उसका देय नियमानुसार कर दिया जाये।

بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

चार महीने और दस (दिन) इद्दत में रखें ।[1] फिर जब अवधि समाप्त कर लें, तो जो अच्छाई के साथ अपने लिए करे उसमें तुम पर कोई पाप नहीं [2] और अल्लाह (तआला) तुम्हारे प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है ।

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ

(२३५) और तुम पर इसमें कोई पाप नहीं कि तुम संकेत रुप अथवा अस्पष्ट रुप से इन स्त्रियों से विवाह के सम्बन्ध में कहो अथवा अपने दिल में विचार छिपाओ, अल्लाह (तआला) को ज्ञान है कि तुम अवश्य उनको याद करोगे, परन्तु तुम उनसे छिपाकर वायदा न कर लो ।[3] हाँ, यह बात और है कि

---

[1]मृत्यु की यह इद्दत प्रत्येक पत्नी के लिए है पति ने उससे समागम किया हो अथवा न किया हो । गर्भहीन पत्नी के लिए यह नियम नहीं क्योंकि उसकी इद्दत प्रसव हो जाना है । ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (*अल-तलाक़*) गर्भवती स्त्रियों की अवधि प्रसव है । इस मृत्यु की इद्दत में स्त्री को बनाव सिंगार (यहाँ तक कि सुर्मा लगाने की भी) और पति के घर से किसी अन्य स्थान पर जाने की आज्ञा नहीं है । परन्तु प्रत्यागम्य तलाक़ प्राप्त पत्नी के लिए बनाव सिंगार करने पर प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु विच्छेदनीय तलाक़ प्राप्ति के लिए मतभेद है, कुछ उचित और कुछ अनुचित के पक्ष में है । (इब्ने कसीर)

[2] अर्थात इद्दत के पश्चात बनाव सिंगार करे और अपने संरक्षकों की सहमति एवं परामर्श से किसी अन्य से विवाह का प्रबन्ध करे, तोइसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । इसलिए तुम पर भी (हे स्त्रियों के संरक्षको) कोई पाप नहीं । इससे ज्ञात हुआ कि विधवा के दूसरे विवाह को न बुरा समझना चाहिए, और न उसमें कोई रुकावट डालनी चाहिए । जैसा कि हिन्दू धर्म के प्रभाव से हमारे समाज में यह चीज पाई जाती है ।

[3]यह विधवा अथवा वह स्त्री जिसको तीन बार तलाक़ मिल चुकी हो अर्थात विच्छेदनीय तलाक़ उसके विषय में कहा जा रहा है कि इद्दत की अवधि में तुम उनकी मंगनी के संकेत दे सकते हो (जैसे मेरा विचार विवाह करने का है, अथवा मैं सुशील स्त्री की खोज में हूँ, आदि) परन्तु उनसे गुप्त रुप से न वचन लो और न इद्दत की अवधि समाप्त हुए विना मंगनी का संदेश दो । परन्तु वह स्त्री जिसके पति ने एक अथवा दो तलाक़ दी हो, तो उससे किसी भी प्रकार से इद्दत की अवधि के अन्दर विवाह का संदेश देना उचित नहीं

يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٣٥﴾

तुम अच्छी बात बोला करो[1]। और जब तक इद्दत की अवधि पूरी नहीं हो विवाह का बन्धन दृढ़ न करो। जान लो, कि अल्लाह (तआला) को तुम्हारे दिलों की बातों का भी ज्ञान है, तुम उससे डरते रहा करो और यह भी जान रखो, कि अल्लाह (तआला) क्षमाशील और कृपा निधान है।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٣٦﴾

(२३६) यदि तुम स्त्रियों को बिना हाथ लगाये और बिना महर निर्धारित किये तलाक़ दे दो, तो भी तुम पर कोई पाप नहीं, हाँ उन्हें कुछ न कुछ लाभ दो। धनवान अपने अनुसार और निर्धन अपनी शक्ति के के हिसाब से नियम के अनुसार अच्छा लाभ दें। भलाई करने वालों के लिए यह अनिवार्य है।[2]

है, क्योंकि जब तक इद्दत नहीं समाप्त हो जाती, उस पर उसके पति का अधिकार है। हो सकता है कि (उसका प्रत्यागमन कर ले) पति उससे सम्बन्ध स्थापित कर ले।

समस्या : कई बार ऐसा भी होता है कि अशिक्षित लोग इद्दत की अवधि में ही विवाह कर लेते है। उनके विषय में यह है कि यदि उनके मध्य सम्भोग नहीं हुआ है, तो उन्हें तुरन्त अलग करा दे, यदि सम्भोग हो भी गया हो, तब भी अलग करना आवश्यक है, इसके बाद पुन: उनके मध्य (इद्दत समाप्त होने के पश्चात) विवाह हो सकता है अथवा नहीं ? इसमें मतभेद है। कुछ आलिमों का मत है कि अब उनके मध्य कभी विवाह नहीं हो सकता, यह एक-दूसरे के लिए सदैव के लिए हराम हैं, परन्तु अधिकतर आलिम उनके मध्य विवाह होने के पक्ष में है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

[1]इससे भी वही नम्रतापूर्वक इंगित है जिसका आदेश पहले दिया जा चुका है। जैसे: मैं तुम्हारी चाह रखता हूँ अथवा संरक्षक से कहे कि यदि इसके विवाह का निर्णय करने से पूर्व मुझे अवश्य बताना आदि। (इब्ने कसीर)

[2]यह उस स्त्री के विषय में आदेश है कि विवाह के समय महर (स्त्री धन) निर्धारित नहीं की गयी थी और पति सम्भोग करने के पूर्व तलाक़ भी दे दे, तो उसे कुछ न कुछ लाभ देकर विदा करो। यह लाभ (तलाक़ का लाभ) पुरूष की शक्ति के अनुसार होना चाहिए

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا

(२३७) और यदि तुम स्त्रियों को इससे पहले तलाक़ दे दो कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो और तुमने उनका महर भी निर्धारित किया हो, तो निर्धारित महर का आधा (महर) दे दो, यह बात और है कि वह स्वयं माफ कर दें,[1] अथवा वह व्यक्ति माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गाँठ है।[2] तुम्हारा माफ

अर्थात धनवान अपने अनुसार और निर्धन अपनी शक्ति भर दे। फिर भी अच्छे व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। इस लाभ (मुतआ) का निर्धारण भी किया गया है, किसी ने कहा दास, किसी ने कहा ५०० (पाँच सौ) दिरहम, किसी ने कहा एक अथवा कुछ सूट आदि। परन्तु यह निर्धारण धार्मिक नियमों के ओर से नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार देने का अधिकार एवं आदेश है। इसमें भी मतभेद है कि यह तलाक़ का लाभ हर तलाक पाने वाली स्त्री के लिए है अथवा विशेष रुप से उसी स्त्री को मिलेगा, जिसके विषय में इस आयत में आदेश का वर्णन है। कुरआन करीम की कुछ अन्य आयतों से यह प्रतीत होता है कि यह हर प्रकार की तलाक़ पाने वाली स्त्री के लिए है। इस मुतआ के आदेश में जो बुद्धमता और लाभ है, उनको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कटुता, तनाव, और मतभेद के कारण जो तलाक़ होती है, उपकार करना, स्त्री का दिल रखना, खुले दिल का प्रदर्शन करना, भविष्य की सम्भावित कटुताओं को दूर करने का अति सुन्दर तरीका है। परन्तु हमारे समाज में इस उपकार एवं वर्ताव के वदले, तलाक़ दी हुई स्त्री को इस प्रकार विदा किया जाता है कि दोनों परिवारों के सम्बन्ध सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं।

[1]यह दूसरी स्थिति है कि सम्भोग से पूर्व ही तलाक़ दे दी जाये और महर निर्धारित थी। इसलिए पति के लिए आवश्यक है कि आधा महर अदा करे। सिवाय इसके कि स्त्री अपना यह अधिकार क्षमा कर दे इस स्थिति में पति को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा।

[2]इससे तात्पर्य पति है क्योंकि विवाह की गाँठ (इसका तोड़ना अथवा स्थापित रखना) उसके हाथ में है। यह आधा महर क्षमा कर दे अर्थात अदा की हुई महर में से आधा महर वापस लेने के बजाय अपना यह अधिकार (आधा महर) क्षमा कर दे और पूरा महर स्त्री को दे दे। इससे कृपा और उपकार को आपस में न भूलने पर भी बल दिया गया है तथा महर में भी इसी कृपा और उपकार के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी गयी है।

टिप्पणी : कुछ ने بيده عقدة النكاح से स्त्री का संरक्षक अर्थ लिया है अर्थात स्त्री क्षमा कर दे अथवा उसका संरक्षक क्षमा कर दे। परन्तु यह ठीक नहीं है। एक तो स्त्री के संरक्षक

الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

कर देना संयम से अतिनिकट है तथा परस्पर परोपकार को न भूलो। नि:सन्देह अल्लाह (तआला) तुम्हारे कर्मों को देख रहा है।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

(२३८) नमाज़ों की सुरक्षा करो विशेषकर मध्यवाली नमाज़ की।[1] और अल्लाह (तआला) के लिए नम्रता पूर्वक खड़े रहा करो।

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا

(२३९) यदि तुम्हें भय हो तो पैदल ही अथवा सवार ही सहीह, और यदि शान्ति हो जाये तो अल्लाह (तआला) की महिमा का वर्णन करो

के हाथ में विवाह की गाँठ नहीं दूसरे महर का अधिकार स्त्री को है, और उसका माल है। उसको क्षमा करने का अधिकार उसके संरक्षक को नहीं है। इसलिए वही व्याख्या उचित है, जो पहले की जा चुकी है। (फ़तहुल क़दीर)

विशेष स्पष्टीकरण : तलाक़ प्राप्त स्त्रियाँ चार प्रकार की होती हैं।

(१) जिनका महर भी निर्धारित है, पति ने सम्भोग भी किया है, उनको पूरा महर दिया जायेगा, जैसाकि आयत संख्या २२९ में इसका विस्तृत विवरण है।

(२) जिनका महर भी निर्धारित नहीं और पति के द्वारा सम्भोग भी नहीं किया गया, उनको केवल तलाक़ का लाभ दिया जायेगा।

(३) जिनका महर निर्धारित है, परन्तु सम्भोग नहीं किया गया, उनको आधा महर देना अनिवार्य है (इन दोनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत आयत में है)

(४) सम्भोग तो किया गया, परन्तु महर निर्धारित नहीं है, उनके लिए समान महर है। समान महर का अर्थ है उस स्त्री के समुदाय में जो सामान्य प्रचलन हो अथवा उस जैसी स्त्री के लिए सामान्य रुप से जो महर निर्धारित किया जाता है (नैलुल अवतार व औनुल माबूद)

[1]मध्य वाली नमाज से तात्पर्य अस्र (अपरान्ह की) नमाज़ है, जिसको इस हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आधार पर निर्धारित कर दिया गया है, जो ख़न्दक युद्ध वाले दिन अस्र की नमाज को صلوة وسطى कहा है। (सहीह बुख़ारी किताबुल जिहाद संख्या ४५२२, मुस्लिम ४३७)

عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

जिस प्रकार कि उसने तुम्हें उस बात की शिक्षा दी है, जिसे तुम नहीं जानते थे ।[1]

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

(२४०) और जो तुम में से मर जायें और पत्नियाँ छोड़ जाये, वह वसीयत कर जायें कि उनकी पत्नियाँ वर्ष भर लाभ उठायें ।[2] उन्हें कोई न निकाले, और यदि वे स्वयं निकल जायें तो तुम पर इसमें कोई पाप नहीं जो वह अपने लिए अच्छाई से करें अल्लाह (तआला) प्रभावी और विज्ञानी है ।

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

(२४१) तलाक़ दी हुई (विवाह विच्छेदित) स्त्रियों को भली प्रकार लाभ पहुँचाना सदाचारियों पर अनिवार्य है ।[3]

---

[1]अर्थात शत्रु से भय के कारण जिस प्रकार भी संभव हो, पैदल चलते हुए, सवारी पर बैठे हुए नमाज़ पढ़ लो, परन्तु जब भय की स्थिति समाप्त हो जाये तो उसी प्रकार नमाज़ पढ़ो, जिस प्रकार सिखलाया गया है ।

[2]यह आयत यद्यपि क्रमानुसार पश्चात की है परन्तु निरस्त है इसकी निरस्तकारी आयत प्रथम आ चुकी है जिसमें मृत्यु की इद्दत (गर्णा अवधि) चार महीना दस दिन बताई गई है, इस के सिवाय उत्तराधिकार की आयत (निर्देश) ने पत्नी का भाग निर्धारित कर दिया है अत: अब पति को पत्नी के लिए वसीयत (उत्तरदान) करने की कोई आवश्यकता नहीं रही न आवास तथा न पालन पोषण की ।

[3]यह साधारण आदेश है जिसमें प्रत्येक तलाक़ प्राप्त नारी सम्मिलित है । अलगाव के समय जिस प्रकार के शुभ व्यवहार एवं सन्तावना पर बल दिया गया है, उसके अंगणित समाजिक लाभ हैं । काश मुसलमान इस अति महत्वपूर्ण शिक्षा का पालन करते, जिसे उन्होंने बिल्कुल भुला दिया है । आधुनिक (धर्मगुरुओं) ने متاع और متعوهن से यह अर्थ निकाला है कि तलाक़ दी हुई स्त्री को जायदाद में से भाग दो अथवा आजीवन उसका पालन पोषण करो । यह दोनो बातें निर्धार हैं, भला जिस स्त्री को पुरुष ने अपने जीवन से पसंद न होने के कारण निकाल दिया, वह उसे आजीवन पोषण को किस प्रकार अदा करने को तैयार होगा ।

(२४२) इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिये अपनी आयतों (आदेशों) का वर्णन करता है ताकि तुम समझो ।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ۠ ﴿٢٤٢﴾

(२४३) क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की संख्या में मरणमय के कारण अपने घरों से निकल पड़े अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ फिर उन्हें जीवित कर दिया ।[1] नि:सन्देह अल्लाह लोगों पर अतिकृपालु है किन्तु प्राय: लोग कृतज्ञता नहीं करते ।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ۪ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ۣ ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾

(२४४) तथा अल्लाह के मार्ग में लड़ो तथा यह जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है ।

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

(२४५) कौन अल्लाह को अच्छा उधार देगा[2] जिसे वह फिर उसे कई गुना अधिक प्रदान

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا

---

[1]यह घटना किसी विगत समुदाय की है, जिसका विवरण किसी हदीस में नहीं मिलता भाष्यकारों के अनुसार इसे इस्राईल की पुत्रों के समय की घटना और पैग़म्बर का नाम, जिसकी प्रार्थना से अल्लाह तआला ने उन्हें पुर्नजीवित किया 'हिजक़ील' बतलाया गया है। यह जिहाद में हत्या के भय से अथवा प्लेग की महामारी के भय से अपने घरों से निकल भागे थे, ताकि मरने से बच जायें। अल्लाह तआला ने उन्हें मार कर यह सिद्ध कर दिया कि तुम अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते, दूसरे यह कि मनुष्यों की अन्तिम शरणागार अल्लाह तआला की ओर है, तीसरे यह कि अल्लाह तआला पुर्नजीवित करने का सामर्थ्य रखता है और वह इसी प्रकार एक बार पुन: सभी मनुष्यों को जीवित करेगा, जिस प्रकार अल्लाह तआला ने मारकर उनको पुन: जीवित किया। अगली आयत में मुसलमानों को धर्मयुद्ध का आदेश दिया जा रहा है, इससे पहले इस आयत में इस घटना का वर्णन करने की यह बुद्धिमत्ता है कि धर्मयुद्ध से मत भागो क्योंकि मृत्यु और जीवन अल्लाह के अधिकार में है और उसका समय भी निर्धारित है, जिसे धर्मयुद्ध से मुँह मोड़ कर भी तुम टाल नहीं सकते।

[2]अच्छे उधार से तात्पर्य अल्लाह के मार्ग में तथा धर्मयुद्ध में धन दान करना है अर्थात प्राण की भाँति धन देने में भी संकोच न करो। धन में बढ़ोत्तरी एवं कमी भी अल्लाह के

كَثِيْرَةً ۭ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

करेगा तथा अल्लाह ही कमी एवं अधिकता करता है तथा तुम उसी की ओर पुन: जाओगे।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِىٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ

(२४६) क्या आपने इस्राईल के वंश की "मूसा" के पश्चात के समुदायों को नहीं देखा[1] जब उन्होंने अपने नवी (ईशदूत) से कहा कि हमारा एक राजा वना दीजिये[2] ताकि

अधिकार में है। और वह दोनों तरह से तुम्हारी परीक्षा लेता है। कभी धन में बढ़ोत्तरी करके और कभी धन में कमी करके। फिर अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने से कमी भी नहीं होती है, अल्लाह तआला इसमें कई-कई गुना बढ़ोत्तरी करता है। कभी प्रत्यक्ष रुप से कभी आंत्रिक एवं अध्यातिमक रुप से, तथा परलोक में तो निश्चय उसमें अधिकता आश्चर्य चकित होगी।

[1] مَلَأ किसी समुदाय के उन सम्मानित व्यक्ति, सरदार और सरपंच लोगों को कहा जाता है, जो विशेष सलाहकार एवं दूत होते हैं, जिनके देखने से आँखें और दिल प्रभावित होते हैं (مَلَأ का शाब्दिक अर्थ भरने के हैं) (ऐसरूत्तफ़ासीर) जिस पैगम्बर का वर्णन यहाँ है, उसे शमुऐल बताया जाता है। इब्ने कसीर आदि व्याख्याकारों ने जिस घटना का वर्णन किया है उसका सारांश यह है कि इस्राईल की सन्तान आदरणीय मूसा के पश्चात कुछ समय तक तो ठीक रही फिर वे भटक गयीं, धर्म में नई-नई वातों को प्रविष्ट करने लगी, यहाँ तक कि मूर्तिपूजा प्रारम्भ कर दी। नवियों ने उनको रोका, परन्तु यह पाप और मूर्तिपूजा से नही रुके। इसके परिणाम स्वरुप उनके शत्रु को उनके ऊपर आसीन कर दिया, जिन्होंने उनके क्षेत्र भी छीन लिए और उनकी वड़ी संख्या को बन्दी भी वना लिया, इनमें नवियों की श्रृंखला भी टूट गयी, अन्तत: कुछ लोगों की प्रार्थना से शमुऐल पैदा हुए, जिन्होंने धर्म का आमन्त्रण एवं प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने पैग़म्बर से माँग की कि हमारे लिए एक राजा पदासीन करा दे, जिसके नेतृत्व में हम अपने शत्रुओं से लड़ें। पैग़म्बर ने उनके भूत के कर्मों के आधार पर कहा कि तुम माँग तो कर रहे हो, परन्तु मेरा अनुमान है कि तुम अपनी वात पर अटल नहीं रहोगे, अत: ऐसा ही हुआ जैसाकि क़ुरआन में वर्णन है।

[2] ईशदूत की उपस्थिति में राजा पदासीन करने की माँग राज के उचित होने का प्रमाण है। क्योंकि यदि राज शासन उचित न होता तो अल्लाह तआला इस माँग को रद्द कर देता। अपितु उनके लिए तालूत को राजा पदासीन किया जैसाकि अगली आयत में है।

هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

हम अल्लाह के मार्ग में लड़ें उन्होंने कहा कि हो सकता है कि धर्मयुद्ध (जिहाद) अनिवार्य हो जाने के पश्चात, तुम धर्मयुद्ध (जिहाद) न करो। उन्होंने कहा कि भला हम अल्लाह के मार्ग में धर्मयुद्ध (जिहाद) क्यों न करेंगे ? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये हैं और सन्तानों से दूर कर दिये गये हैं। फिर जब उन पर धर्मयुद्ध अनिवार्य हुआ, तो सिवाय थोड़े से व्यक्तियों के सब फिर गये और अल्लाह (तआला) अत्याचारियों को अच्छी तरह से जानता है।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

(२४७) और उनसे उनके नबी ने कहा कि अल्लाह (तआला) ने तालूत (यह एक नाम है) को तुम्हारा सम्राट बना दिया है, तो कहने लगे भला उसका हम पर राज्य कैसे हो सकता है, उससे बहुत अधिक राज्य के अधिकारी हम हैं, उसको तो धन की अधिकता भी नहीं प्रदान की गयी है। उस (नबी) ने कहा सुनो। अल्लाह (तआला) ने उसको तुम पर प्रधानता दी है। और उसे ज्ञान एवं शारीरिक बल भी अत्यधिक प्रदान किया है।[1]

---

[1]आदरणीय तालूत उस वंश से नहीं थे, जिससे इस्राईल की सन्तानों के बादशाहों की श्रृंखला चली आ रही थी। यह निर्धन और एक सामान्य सेनानी थे, जिस पर उन्होने आपत्ति उठायी थी। पैग़म्बर ने कहा कि यह मेरा चुनाव नहीं है। अल्लाह तआला ने उन्हें नियुक्त किया है। फिर भी नेतृत्व के लिए धन से अधिक बुद्धिमता, ज्ञान एवं शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है। और तालूत इसमें तुम सभी से श्रेष्ठ हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें इस पद के लिए चुन लिया है। वह अत्यधिक कृपालु है, जिसको चाहता है अपनी कृपा प्रदान करता है। عَلِيم है अर्थात वह जानता है कि राजाधिकार का अधिकारी कौन है और कौन नहीं है। प्रतीत होता है कि जब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह

वास्तविक बात यह है कि अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपना राज्य दे, अल्लाह (तआला) विशाल धन-धान्य से परिपूर्ण एवं ज्ञान वाला है।

(२४८) तथा उनके नबी ने फिर उनसे कहा, उसकी राज्य की स्पष्ट निशानी यह है कि तुम्हारे पास वह सन्दूक आ जायेगा[1] जिसमें

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِۦٓ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ

नियुक्ति अल्लाह तआला की ओर से है, तो इसके लिए उन्होंने कोई अन्य चिन्ह की माँग की कि उनके दिलों को संतोष हो जाये। इसी कारण अगली आयत में एक और अन्य लक्षण का वर्णन है।

[1]सन्दूक अर्थात तावूत, जो तोव से है, जिसके अर्थ पलटने के हैं, क्योंकि इस्राईल की सन्तान प्रसाद के लिए इसकी ओर पलटते थे। (फ़तहुल क़दीर) इस तावूत में आदरणीय मूसा व हारुन अलैहिस्सलाम की पवित्र वस्तुऐं थीं, यह तावूत भी उनके शत्रु उनसे छीन कर ले गये थे। यह ताबूत अल्लाह तआला ने निशानी के रुप में फ़रिश्तों के द्वारा आदरणीय तालूत के घर के द्वार पर रखवा दिया। इसे देखकर इस्राईल की सन्तानें प्रसन्न भी हुई और इसे अल्लाह तआला की ओर से निशानी मानकर आदरणीय तालूत को अपना राजा मान लिया और अल्लाह तआला ने भी इसे उनके लिए एक चमत्कार (आयत) एवं विजय तथा संतोष का कारण वना दिया سَكِينَةٌ का अर्थ ही अल्लाह तआला की ओर से विशेष सहायता का उतरना जिसे वह अपने विशेष भक्तों पर उतारता है जिसके कारण भयंकर रण में जब बड़े-बड़े योद्धाओं के दिल काँप जाते हैं तो ईमानवालों के दिल शत्रु के भय एवं धाक से शून्य और विजय तथा सफलता की आशा से परिपूर्ण होते हैं। इससे ज्ञात हुआ कि नबियों और महात्माओं की अवशेष अल्लाह की आज्ञा से अवश्य विशेषता और उपयोगिता रखती हैं, परन्तु यह आवश्यक है कि वह सही रुप से उनकी (तबर्रूकात) हो। जिस प्रकार इस ताबूत में वास्तव में आदरणीय मूसा एवं हारुन की पवित्र वस्तुएँ थी। परन्तु जिस प्रकार आजकल विभिन्न स्थानों पर पवित्र अवशेष कहकर कई वस्तुएँ हैं, जिनका कोई इतिहासिक प्रमाण पूर्ण रुप से सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार स्वंय बनायी गयी वस्तुओं से भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते के समान बनाकर अपने पास रखने को अथवा घरों में लटकाने को अथवा विशेष रुप से बनाकर कष्ट निवारण तथा मनोकामना पूरी करने वाला समझते हैं। इसी प्रकार क़ब्रों पर महात्माओं के नामों के चढ़ावे को पवित्र वस्तु और वहाँ के सामान्य भोज को पवित्र वस्तु समझते हैं। जबकि यह अल्लाह के अतिरिक्त अन्य पर चढ़ावा हैं, जो शिर्क की परिधि में आता है। इसको खाना

مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

तुम्हारे प्रभु की ओर से दिल की स्थिरता की सामग्री है और मूसा की सन्तान, एवं हारुन की सन्तान का शेष छोड़ा हुआ सामान है, फ़रिश्ते उसे उठाकर लायेंगे। निःसन्देह यह तो तुम्हारे लिए स्पष्ट निशानी है, यदि तुम ईमानदार हो।

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ

(२४९) फिर जब तालूत सेना लेकर निकले तो कहा सुनो एक नदी[1] द्वारा अल्लाह को तुम्हारी परीक्षा लेनी है तो जो उससे जल पियेगा वह मेरा नहीं तथा जो उसमें से न चखे वह मेरा है यह और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले तो कुछ के सिवाय शेष सभी ने जल पी लिया,[2] (आदरणीय) तालूत जब नदी से पार हो गये तथा जो उनके साथ ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि

विशेषरुप से हराम है, क़ब्रों को स्नान कराया जाता है और उसका पानी पवित्र समझा जाता है, हालांकि क़ब्रों को स्नान कराना खाना-ए-काअबा के स्नान की नक़ल है, जो किसी प्रकार से उचित नहीं है, और यह अशुद्ध पानी पवित्र कैसे हो सकता है, यह सभी बातें अनुचित हैं, इनका धार्मिक नियमों में कोई प्रविधान नहीं है।

[1]यह नदी जार्डन और फ़िलस्तीन के मध्य है। (इब्ने कसीर)

[2]नायक के आदेशों का पालन आवश्यक है, और जब शत्रु के साथ युद्ध हो, तो उसकी यह विशेषता दो गुनी होती है, बल्कि सौ गुनी हो जाती है। दूसरे युद्ध के समय सेना को आवश्यक है कि अपनी भूख प्यास तथा अन्य कठिनाइयों पर धैर्य रखे। इसलिए इन दोनों बातों की शिक्षा एवं परीक्षा के लिए तालूत ने कहा कि तुम्हारी पहली परीक्षा नदी में होगी, जिसने पानी पी लिया उसका मेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीं होगा, परन्तु इस चेतावनी के बाद भी अधिकतर लोगों ने पानी पी लिया। इनकी संख्या के विषय में व्याख्याकारों में मतभेद है। इस प्रकार न पीने वालों की संख्या ३१३ बतायी गई है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा (साथियों) की संख्या बद्र नामक स्थान पर हुए युद्ध के समय थी। والله أعلم

وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً ۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿٢٤٩﴾

आज तो हममें बल नहीं की जालूत तथा उसकी सेनाओं से लड़ें,[1] किन्तु जिन्हे अल्लाह से मिलने पर विश्वास था उन्होंने कहा, कि बहुत से अल्प समूह अल्लाह की आज्ञा से भारी समूहों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तथा अल्लाह धैर्यवानों के साथ है।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

(२५०) और जब उनका जालूत तथा उसकी सेनाओं से मुक़ाबला हुआ, तो उन्होंने प्रार्थना की, हे हमारे पालनहार ! हमें धैर्य प्रदान कर एवं अडिग बना दे तथा काफ़िर वर्ग पर हमारी सहायता कर ।[2]

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ

(२५१) अत: उन्हें अल्लाह की आज्ञा से पराजित कर दिया तथा दाऊद ने जालूत का

---

[1]इन ईमान वालों ने भी जब प्रारम्भ में शत्रु की बहुत बड़ी संख्या देखी, तो अपनी कम संख्या को देखते हुए इस बात को स्पष्ट किया। जिस पर उनके ज्ञानियों और उनसे अधिक ईमान रखने वालों ने कहा कि सफलता, संख्या में अधिकता तथा हथियार के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह तआला की इच्छा पर आधारित है और अल्लाह तआला का समर्थन प्राप्त करने के लिए धैर्य का होना आवश्यक है।

[2]जालूत उस शत्रु समुदाय का सेना नायक था, जिससे तालूत और साथियों का मुक़ाबला था, यह अमालक़ा की जाति थी, जो अपने समय में योद्धा एवं वीर लोग समझे जाते थे। उनकी इसी प्रसिद्धता के कारण ठीक युद्ध के समय में ईमानवालों ने अल्लाह के दरबार में धैर्य एवं दृढ़ता के लिए और कुफ़्र के सामने ईमानवालों को विजय एवं सफलता की प्रार्थना की । अर्थात भौतिक कारणों के साथ-साथ ईमानवालों के लिए आवश्यक है कि वह अल्लाह की ओर से सफलता तथा विजय के लिए विशेष रुप से प्रार्थना करें, जिस प्रकार बद्र के युद्ध के समय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में बड़ी आग्रहता एवं विनम्रता से विजय एवं सफलता के लिए प्रार्थना की थी, जिसे अल्लाह तआला ने स्वीकार किया जिसके कारण मुसलमानों की छोटी सी संख्या ने काफ़िरों की बहुत बड़ी संख्या पर विजय प्राप्त किया।

वध कर दिया[1] तथा अल्लाह ने उसे राज्य एवं विधान[2] तथा जितना चाहा ज्ञान भी प्रदान किया । तथा यदि अल्लाह कुछ लोगों को दूसरे गरोह से हटाता न रहता तो धरती में विकार फैल जाता, किन्तु अल्लाह संसार के लोगों पर बड़ा दया निधि है ।[3]

الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

(२५२) यह अल्लाह की आयतें (सूत्र) हैं जिन्हें हम आप पर सत्य के साथ पढ़ते हैं और निश्चय ही आप रसूलों (ईशदूतों) में से हैं ।[4]

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

---

[1]आदरणीय दाऊद जो अभी न पैग़म्बर थे और न बादशाह, इस तालूत की सेना में एक साधारण फ़ौजी थे। उनके हाथों जालूत मारा गया और इस थोड़े से ईमानवालों को बड़ी क़ुरवीर एवं योद्धा जाति पर विजय दिलवाई।

[2]इसके बाद अल्लाह तआला ने आदरणीय दाऊद को बादशाहत और नबूवत दोनों प्रदान किया।

[3]इसमें अल्लाह के एक नियम की चर्चा है कि वह मानवगण ही के एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के अत्याचार तथा प्रभुत्व को समाप्त करता रहता है यदि वह ऐसा न करता और किसी एक ही समुदाय को सदा बल एवं अधिकार का सौभाग्य दिये रहता तो यह धरती अत्याचार तथा विकार से भर जाती अत: अल्लाह का यह नियम संसार वासियों के लिए अल्लाह की दया का विशेष सूचक है, इसकी चर्चा *सूर:हज* की आयत न० ३० तथा ४० में भी की है।

[4]यह विगत घटनायें जिनका ज्ञान आप पर अवतरित धर्मशास्त्र (पवित्र क़ुरआन) द्वारा संसार को हो रहा है, हे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) निश्चय आपकी नबूअत और सत्यता का प्रमाण हैं, इनका अध्ययन न किसी पुस्तक में किया है न किसी से सुना है, जिससे स्पष्ट है कि यह परोक्ष की सूचनायें हैं जो प्रकाशना (ईशवाणी) द्वारा अल्लाह आप पर उतार रहा है, पवित्र ईशवाणी क़ुरआन के कई स्थानों पर समुदायों की घटनाओं के वर्णन को आप की सत्यता के प्रमाण स्वरुप प्रस्तुत किया गया है।